नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 359, नई दिल्ली, शुक्रवार 27 फरवरी 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जिस इंसान के पास आशा होती है, वह कभी पराजित नहीं होता है!

03 मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा, क्या है महत्व?
06 माता-पिता, मोबाइल पर बच्चे
08 निजी अस्पताल: यानी जेबें खाली करने के संस्थान

दिल्ली में अवैध और बिना पंजीकरण के चल रहे वाहनों पर सख्त कार्यवाही और "पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलर"

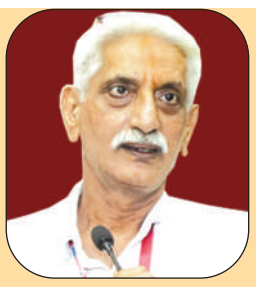

संजय कुमार बाठला

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली में 3 (तीन) वाहन स्क्रैप डीलरो को दिल्ली से सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय के राजपत्रित अधिसूचना गाइडलाइंस के अनुसार पंजीकृत कर दिया गया पर सड़क परिवहन एवम्-राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अभी तक इनमें से मात्र एक वाहन स्क्रैप डीलर को परिचालन की इजाजत दी वह भी वाहनों की संख्या के साथ।

अब सवाल यह उठता है की दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत और सड़क परिवहन एवम्-राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परिचालित एक ही वाहन स्क्रैप डीलर किस प्रकार से दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी यूरो 3 और उससे निम्न जब्त वाहनों को प्राप्त कर स्क्रैप करने के आदेश को पूरा कर पाएगा और प्राप्त वाहनों को नियमानुसार स्क्रैप?

यह भी सच है की दिल्ली में अब यूरो 3 के वाहन परिवहन विभाग के आनलाइन डाटा बेस में तो नजर आ रहे है पर दिल्ली में उपलब्ध नहीं है क्योंकि कुछ लोगों ने ग्रे मार्किट यानी अनाधिकृत वाहन स्क्रैप डीलरो को अपने वाहन बेच दिए है क्योंकि उनके द्वारा वाहन की स्क्रैप कीमत अधिकृत आरवीएसएफ से कम से कम 300 प्रतिशत अधिक प्राप्त हो जाती हैं।

यही सबसे बड़ी सच्चाई है जिस कारण दिल्ली के बाहर के पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलर किसी भी कीमत पर दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यातायात पुलिस से जुड़ कर वाहनों को स्क्रैप करने के नाम से लेने के लिए पिछली दोनों बार जुड़ते रहे।

क्योंकि वह जानते थे की दिल्ली परिवहन विभाग उन्हें वाहन देने के बाद कानूनन उनसे ना तो दिए गए वाहनों का स्क्रैप मूल्य ही प्राप्त कर सकता था और ना ही वाहन स्क्रैप हुआ या उनके द्वारा ग्रे मार्किट में यही बेच दिया गया की जांच कर सकता था।

इसी बात का फायदा दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों और बाहरी राज्यों से पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो ने लिया और दिल्ली की जनता के वाहनों को जब्त किया और स्क्रैप कीमत भी नहीं दी और जनता के वाहनों और वाहन स्क्रैप कीमत को लेकर अपने अपने पंजीकृत राज्यों में जाकर खो गए।

दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारियों द्वारा उनके इस प्रकार से जनता से किए गए कृत्य करने के बाद भी उनके खिलाफ नोटिस जारी करने के अतिरिक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई या यह भी कह सकते है की करने का पूर्ण प्रयास ही नहीं किया, आखिर क्यों परिवहन विभाग के आला अधिकारी बेहतर जानते होंगे।

आपकी जानकारी में होगा की उसी समय कई वीडियो वायरल हुई थी जिनमें उन स्क्रैप डीलरो द्वारा प्राप्त वाहन टोल टैक्स कटवा कर अन्य राज्यों में जा रहे थे और एक स्क्रैप डीलर ने तो प्राप्त सैकड़ो ई रिक्शे बेच दिए थे।

इन सब बातों के बाद भी परिवहन विभाग के आला अधिकारी की आंख नहीं खुली और दिल्ली की जनता को लूटवाता रहा और उन्हें वाहन स्क्रैप डीलरो को वाहन स्क्रैप के नाम से सुपुर्द करवाता रहा, क्योंकि नुकसान तो सिर्फ जनता का था पर फायदा पता नहीं कितनों का।

दिल्ली परिवहन विभाग से अपील दिल्ली में वाहन प्रदूषण को रोकने और अवैध वाहनों को जब्त करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश और उपराज्यपाल द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना गाइडलाइंस और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्यवाही जरूर करे पर

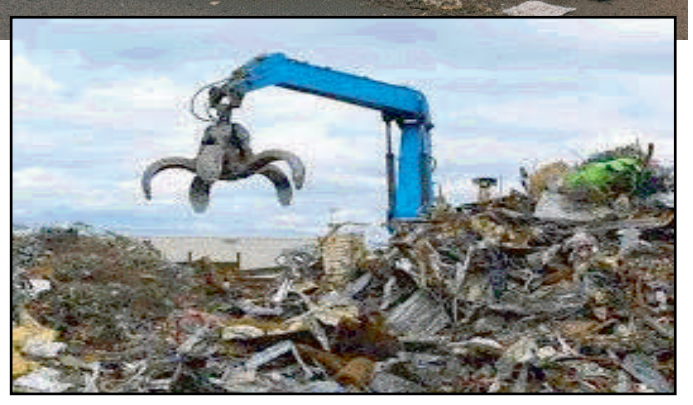

1. दिल्ली में बाहरी राज्यों खास तौर से दिल्ली एनसीआर के वाहन स्क्रैप डीलरो को ही सिर्फ नियमों के अनुसार दिल्ली में संग्रह केंद्र की इजाजत प्रदान कर वह भी मात्र अवैध और बिना पंजीकरण के ई रिक्शा के लिए,

2. ई रिक्शा में मात्र बैटरी है जो प्रदूषण मानक में आती हैं उसके लिए वाहन स्क्रैप डीलरो से जिन्हें संग्रह केंद्र की इजाजत दी जाए उनसे बैटरी को स्क्रैप करने वाले पंजीकृत स्क्रैप डीलर को स्क्रैप करने के लिए दिए जाने का अग्रिम एग्रीमेंट जमा करवाए

3. जब्त अवैध वाहनों के साथ ई रिक्शा को मशीन से बंडल बनाने और बैटरी को पंजीकृत बैटरी स्क्रैपर को सुपुर्द करने के लाइव सबूत वाहन पोर्टल पर समयानुसार अपलोड करने के आदेश जारी करें

4. समयानुसार जो वाहन स्क्रैप डीलर वाहन का स्क्रैप मूल्य, लाइव सबूत अपलोड ना करे उसे तत्काल अन्य वाहन सुपुर्द करने बंद कर उसका संग्रह केंद्र रद्द कर दिया जाए और उसके द्वारा संग्रह केंद्र के लिए पंजीकृत जमा बैंक गारंटी जब्त कर ली जाए

ऐसा करने से दिल्ली में अवैध और बिना पंजीकरण के चल रहे वाहनों पर सही कार्यवाही भी संभव होगी और वाहन स्क्रैप डीलर द्वारा पूर्व में की गई लूट दुबारा संभव नहीं होगी।

पर यह सब संभव तब होगा जब परिवहन विभाग सही नीति और सही क्रियान्वयन करे।

आरएनआई द्वारा अनुमोदित दो भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र "परिवाहन विशेष" के वार्षिक समारोह की घोषणा

"मार्च अंत या अप्रैल की शुरुआत"

आरएनआई द्वारा अनुमोदित हिंदी भाषा के दैनिक समाचार पत्र "परिवहन विशेष" के तीसरे वार्षिक समारोह और आरएनआई द्वारा अनुमोदित अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचार पत्र "परिवहन विशेष" के पहले समारोह के विषय और थीम निम्नलिखित हैं:

"सड़क सुरक्षा, प्रदूषण, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा"

एवम

"सामाजिक कार्यकर्ताओं और कार्यरत समूहों को पुरस्कार"

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html I
tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार: "टेलीकॉम से इतर नागरिकों की सुरक्षा: प्लेटफ़ॉर्म-न्यूट्रल नियमन का समय"

पिंकी कुंडू

धोखेबाज़ पारंपरिक टेलीकॉम और डिजिटल संचार प्लेटफ़ॉर्म के बीच नियामक अंतर का फायदा उठाकर साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं।

जहाँ टेलीकॉम ऑपरेटर धोखाधड़ी रोकथाम को मज़बूत कर रहे हैं, वहीं बिना नियमन वाले मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया प्रमुख निशाने बन रहे हैं। सभी संचार माध्यमों में जवाबदेही सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म-न्यूट्रल फ्रेमवर्क आवश्यक है।

श्री गोपाल विट्ठल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारती एयरटेल

भारत का टेलीकॉम क्षेत्र सख्त नियमों के तहत संचालित होता है, लेकिन मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल संचार प्लेटफ़ॉर्म अभी भी बड़े पैमाने पर बिना नियमन के हैं। धोखेबाज़ इस अंतर का फायदा उठाकर साइबर अपराध को बढ़ा रहे हैं। एक प्लेटफ़ॉर्म-न्यूट्रल संचार फ्रेमवर्क सभी संचार माध्यमों में जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, उपभोक्ताओं की रक्षा करेगा और भारत के नियामक दृष्टिकोण को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाएगा।

1. वर्तमान परिदृश्य

- टेलीकॉम नियमन

o सख्त, कानूनी रूप से बाध्यकारी मानक।

o निगरानी में धोखाधड़ी रोकथाम, वैध इंटरसेप्शन और उपभोक्ता संरक्षण शामिल।

- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म

o मैसेजिंग ऐप, VoIP सेवाएँ और सोशल मीडिया समान दायित्वों से मुक्त।

o धोखेबाज़ गुमनामी और कमजोर अनुपालन का फायदा उठाते हैं।

- नतीजा

o SMS, WhatsApp, Telegram और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर घोटाले बढ़ रहे हैं।

o कानून प्रवर्तन को बिखरे हुए अधिकार क्षेत्र और असंगत सहयोग का सामना करना पड़ता है।

2. प्रमुख चुनौतियाँ

- टेलीकॉम और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बीच नियामक असमानता।

- धोखेबाज़ों का प्लेटफ़ॉर्म बदलकर बच निकलना।

- विदेशी प्लेटफ़ॉर्म के कारण अधिकार क्षेत्र की जटिलता।

- उपभोक्ता असुरक्षा, क्योंकि एक समान शिकायत निवारण तंत्र नहीं है।

3. प्रस्तावित फ्रेमवर्क

एक प्लेटफ़ॉर्म-न्यूट्रल संचार फ्रेमवर्क टेलीकॉम और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर समान नियम लागू करेगा:

- धोखाधड़ी रोकथाम

o टेलीकॉम: अनिवार्य KYC, स्पैम फ़िल्टर।

o डिजिटल: कमजोर/वैकल्पिक।

o प्रस्तावित: समान KYC और मज़बूत एंटी-स्पैम।

- जवाबदेही

o टेलीकॉम: लाइसेंस प्राप्त, नियमन।

o डिजिटल: स्व-नियमन।

o प्रस्तावित: समान अनुपालन मानक।

- वैध इंटरसेप्शन

o टेलीकॉम: कानूनी रूप से अनिवार्य।

o डिजिटल: असंगत सहयोग।

o प्रस्तावित: समन्वित दायित्व।

- उपभोक्ता संरक्षण

o टेलीकॉम: स्पष्ट शिकायत निवारण।

o डिजिटल: सीमित।

o प्रस्तावित: एकीकृत निवारण तंत्र।

- डेटा साझाकरण

o टेलीकॉम: नियमन और पारदर्शी।

o डिजिटल: अक्सर अपारदर्शी।

o प्रस्तावित: मानकीकृत पारदर्शिता मानक।

4. वैश्विक संदर्भ

- EU डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA): ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मॉडरेशन और पारदर्शिता की बाध्यता।

- US FCC नियम: टेलीकॉम पर लागू, लेकिन OTT ऐप्स पर समान नियम नहीं।

- भारत के IT नियम (2025 संशोधन): मध्यस्थ दायित्व मज़बूत किए गए, लेकिन ध्यान सामग्री पर है, धोखाधड़ी रोकथाम पर नहीं।

5. जोखिम और विचार

- अति-नियमन से नवाचार प्रभावित हो सकता है।

- KYC और इंटरसेप्शन से जुड़ी गोपनीयता चिंताएँ।

- वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता।

- TRAI, MeitY, RBI और कानून प्रवर्तन के बीच समन्वय की जटिलता।

6. सिफ़ारिशें

- सभी संचार प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक एकीकृत नियामक छत्र स्थापित करें।

- धोखाधड़ी रोकथाम प्रोटोकॉल (कॉलर आईडी प्रमाणीकरण, स्पैम डिटेक्शन) अनिवार्य करें।

- टेलीकॉम ऑपरेटर और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ एक संयुक्त साइबर धोखाधड़ी टास्क फ़ोर्स बनाएँ।

- उपभोक्ता जागरूकता अभियान शुरू करें, जो सभी प्लेटफ़ॉर्म पर जोखिमों को उजागर करें।

- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करें।

भारत को तत्काल एक प्लेटफ़ॉर्म-न्यूट्रल संचार फ्रेमवर्क की आवश्यकता है ताकि टेलीकॉम और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बीच नियामक अंतर को बंद किया जा सके। यह फ्रेमवर्क:

- उपभोक्ता संरक्षण को मज़बूत करेगा।

- धोखाधड़ी रोकथाम को सुदृढ़ करेगा।

सभी संचार माध्यमों में जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

- नवाचार और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाएगा।

पशु-संपर्क में सावधानी: स्नेह और जोखिम के बीच की अदृश्य रेखा

पिंकी कुंडू

मानव और पालतू पशुओं के बीच का संबंध प्रेम, विश्वास और सह-अस्तित्व पर आधारित है। परंतु इसी स्नेह की छाया में कुछ अदृश्य सूक्ष्मजीव भी छिपे होते हैं—जो अवसर मिलते ही प्राणघातक सिद्ध हो सकते हैं। कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी, रैकून और भेड़िए—इनके लार में दो विशेष रोगजनक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

Rabies lyssavirus – जो Rabies (हाइड्रोफोबिया) का कारण बनता है।

Capnocytophaga canimorsus – एक जीवाणु, जो कम चर्चित होने के बावजूद घातक सेप्सिस उत्पन्न कर सकता है।

जहाँ रेबीज़ सदियों से भय और जनजागरूकता का विषय रहा है, वहीं Capnocytophaga canimorsus अपेक्षाकृत अनाम रहकर भी तीव्र सेप्टिक शॉक और अंग-विच्छेदन (amputation) तक की स्थिति ला सकता है।

1. रेबीज़ लाइस्सावायरस:

मृत्यु की शाश्वत छाया

रेबीज़ एक बुलेट-आकार का रैब्डोवायरस है, जो संक्रमित पशु की लार से काटने, खरोंचने या खुले घाव पर लार लगने से फैलता है।

रोग की प्रक्रिया (Pathogenesis)

वायरस त्वचा से प्रवेश कर परिधीय नसों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचता है।

वहाँ यह घातक एन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क की सूजन) उत्पन्न करता है।

लक्षण: जल का भय (हाइड्रोफोबिया), हवा का भय (एरोफोबिया), उत्तेजना, पक्षाघात, कोमा।

⚠ महत्वपूर्ण तथ्य:

लक्षण प्रकट होने के बाद मृत्यु-दर लगभग 100% है।

परंतु समय रहते पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PEP) – घाव की धुलाई, रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, और वैक्सीन – जीवन रक्षक सिद्ध हो सकती है।

🌍 वैश्विक व भारतीय परिप्रेक्ष्य (2025–2026 अद्यतन)

विश्व में लगभग 59,000 मौतें प्रतिवर्ष।

99% मामले कुत्तों के काटने से।

भारत ने ऐतिहासिक रूप से वैश्विक मृत्यु का बड़ा हिस्सा वहन किया।

ICMR (2022–23) सर्वेक्षण के अनुसार मृत्यु संख्या 6,000 से कम आंकी गई—जो पूर्व के 18,000–20,000 अनुमान से कम है।

नवीन प्रगति:

ताप-स्थिर (temperature-stable) वैक्सीन

आवारा कुत्तों हेतु मौखिक वैक्सीन

मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आधारित PEP

"Zero by 30" रणनीति के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्ययोजना

भारत 2030 तक रेबीज़ उन्मूलन की दिशा में सशक्त कदम उठा रहा है।

2. Capnocytophaga canimorsus:

अनदेखा घातक

यह एक ग्राम-नेगेटिव जीवाणु है (वायरस नहीं)।

60–74% कुत्तों की लार में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है।

सामान्यतः पशु को हानि नहीं पहुँचाता।

परंतु मानव रक्त में प्रवेश करते ही तीव्र सेप्सिस उत्पन्न कर सकता है।

संक्रमण का मार्ग:

कुत्ते या बिल्ली का काटना

खरोंच

खुले घाव पर लार लगना

जोखिम समूह:

जिनका प्लीहा (spleen) नहीं है

मधुमेह, सिरोसिस, शराब सेवन

इम्यूनो-सप्रेस्ड रोगी

जटिलताएँ:

सेप्टिक शॉक

DIC (रक्त का अनियंत्रित थक्का बनना)

Purpura Fulminans (त्वचा में गैंग्रीन)

अंग विच्छेदन

गुर्दा विफलता

मृत्यु-दर 10–30% तक।

🧬 नवीनतम अंतरराष्ट्रीय घटनाएँ (2025–2026)

63 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति – मामूली घाव पर कुत्ते की लार के बाद बहु-अंग विफलता।

53 वर्षीय बिना प्लीहा वाले व्यक्ति – बिल्ली काटने से DIC व अंग-विच्छेदन।

ब्रिटेन में एक महिला – छोटे कट पर कुत्ते की लार से सेप्टिक शॉक व दोनों हाथ-पैरों का अम्प्यूटेशन।

इन घटनाओं ने विश्वभर में चिकित्सकों को सतर्क किया है कि यह संक्रमण दुर्लभ है परंतु संभावित रूप से विनाशकारी।

IN भारतीय संदर्भ:

सेप्सिस का मौन संकट

भारत वैश्विक सेप्सिस मृत्यु का लगभग 35% वहन करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पशु-काटने के लाखों मामले होते हैं।

⚠ परंतु:

उन्नत जाँच (16S rRNA PCR, मेटाजीनोमिक परीक्षण) सीमित हैं।

कई मामलों को "culture-negative sepsis" कहकर दर्ज किया जाता है।

Capnocytophaga संक्रमण संभवतः कम पहचाना जाता है।

"One Health" दृष्टिकोण—मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का एकीकरण—इस समस्या के समाधान का मार्ग है।

🛡 सावधानी ही सुरक्षा

किसी भी पशु संपर्क के बाद:

घाव को 15 मिनट तक साबुन-पानी से धोएँ।

एंटीसेप्टिक लगाएँ।

तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें।

आवश्यकता अनुसार PEP या प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक लें।

! खुले घाव पर कुत्ते का चाटना कभी भी सुरक्षित नहीं माना जाना चाहिए।

✨ निष्कर्ष

स्नेह और सतर्कता में संतुलन ही जीवन की रक्षा करता है।

रेबीज़ उन्मूलन की दिशा में भारत आशावादी है, परंतु Capnocytophaga canimorsus जैसे जीवाणु हमें याद दिलाते हैं कि सूक्ष्म संसार की शक्ति को कम करके नहीं आँका जा सकता।

ज्ञान ही कवच है।

सजगता ही जीवन है।

हेल्थ मंत्र । हेल्थ मंत्र : क्या पैर मोड़ने पर भी आपकी एड़ी में दर्द होता है?

पिंकी कुंडू

सही कारण पहचानें और असरदार उपाय करें, सिर्फ़ बाम लगाने से कुछ नहीं होगा!

*एड़ी में दर्द के लक्षण

*सुबह पहला कदम उठाते समय तेज़ दर्द

*चलते समय चुभन जैसा महसूस होना

*ज़्यादा देर तक खड़े रहने पर दर्द बढ़ जाना

*पैर के तलवे में अकड़न

*मुख्य कारण

* प्लांटर फेशिआइटिस – पैर के तलवे के लिगामेंट में सूजन

* कैल्केनियल स्पर – एड़ी की हड्डी के पास एक छोटा सा बोन स्पर

*ज़्यादा वज़न

*डायबिटीज़

*विटामिन D और कैल्शियम की कमी

*फ्लैट/सख्त जूते

*ज़्यादा देर तक खड़े रहना

*असरदार घरेलू उपाय

*आइस पैक

धीरे से घुमाएँ 10–15 मिनट, सूजन और दर्द कम होता है

*स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज

* दीवार पर हाथ रखें और अपने पैर की उंगलियों को स्ट्रेच करें

*तौलिए से अपने पैर की उंगलियों को धीरे से खींचें

इसे रोज़ाना 5–10 मिनट तक करें, आपको फर्क महसूस होगा

*कैस्टर/तिल के तेल की मसाज इसे हल्का गर्म करके लगाएं, कपड़ा बांधें – ब्लड फ्लो बेहतर होता है

*एप्सम सॉल्ट फुट सोक पैरों को 15–20 मिनट तक गर्म पानी में भिगोएं मसल्स रिलैक्स होती हैं

*मेथी/हल्दी का उपाय मेथी भिगोकर लगाएं और हल्दी वाला दूध – सूजन कम करता है

सही देखभाल

* मुलायम सोल और हील सपोर्ट वाले जूते पहनें

*फ्लैट, हार्ड शूज़ पहनने से बचे

*ज़रूरत हो तो ऑर्थोटिक इनसोल इस्तेमाल करें

*वज़न कंट्रोल में रखें

*बैलेंस्ड डाइट + हल्की एक्सरसाइज़

सिरदर्द के घरेलू नुस्खे

पिंकी कुंडू

क्या आप सिरदर्द से परेशान हैं?

गोलियां लेने से पहले यह आसान उपाय आज़माएँ!

1. अदरक की चाय अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। गर्म अदरक की चाय पीने से खून की नसों में सूजन कम होती है और दर्द से राहत मिलती है।

* दिन में एक कप चाय सेहत के लिए फायदेमंद है!

2. खूब पानी पिएं डिहाइड्रेशन की वजह से अचानक सिरदर्द होने लगता है।

*जब सिर में दर्द होने लगे तो धीरे-धीरे 2-3 गिलास पानी पिएं।

3. गर्दन और कंधे की स्ट्रेचिंग धीरे-धीरे अपनी गर्दन को बाएँ-दाएँ, ऊपर-नीचे घुमाएँ।

* मसल्स रिलैक्स होती हैं, टेंशन कम होता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं।

4. तीखी लौंग की खुशबू 2-3 लौंग को हल्का पीसकर रूमाल में बांधकर सूंघें।

*दर्द कम करने में मदद करता है।

5. एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच के हिस्से को 1 मिनट तक दबाएं।

* टेंशन वाले सिरदर्द को कम करता है।

6. नींबू पानी नींबू पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर पिएं।

* शरीर में एसिड को बैलेंस करने में मदद करता है।

7. आइस शेक माथे या कान के पास 5-10 मिनट तक हल्का शेक करें।

*सूजन और जलन कम करता है।

8. तरबूज और पानी वाले फल डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपनी डाइट में तरबूज और खीरा शामिल करें।

9. गहरी सांस लें खुली हवा में गहरी सांस लें और छोड़ें।

* ऑक्सीजन बढ़ने से सिर हल्का महसूस होता है।

अगर आपको बार-बार सिरदर्द, उल्टी, चक्कर आना या धुंधला दिखाई देना हो, तो किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लें।

मानसिकता बदलने की जरूरत है ना की भाषण और मोमबत्तियों की, कब समझेंगे हम

पिंकी कुंडू

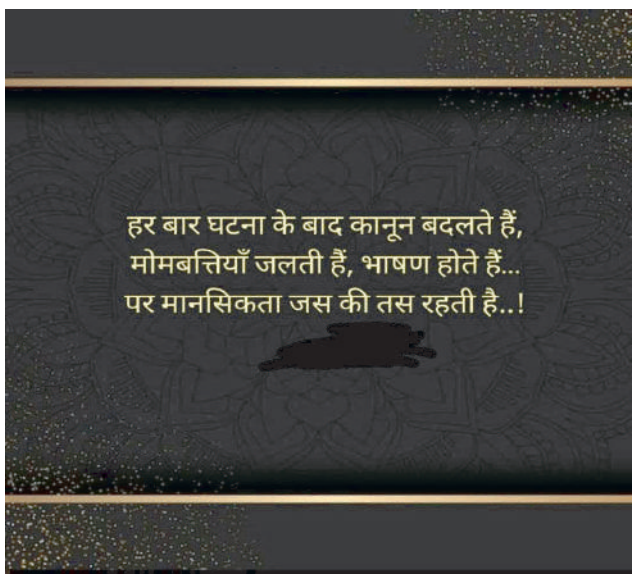

हर बार जब किसी बेटी के साथ दरिंदगी होती है, हमारी टाइमलाइन गुस्से से भर जाती है। स्टेटस बदलते हैं, डीपी काली होती है और हम लिखते हैं "अब बहुत हो गया।"

पर सच कहूँ? हमारा "बहुत हो गया" बहुत जल्दी खत्म हो जाता है।

हम कहते हैं कानून सख्त होना चाहिए कानून सख्त हैं, सजा भी है और फास्ट ट्रैक भी है।

फिर भी डर किसे लगता है, अपराधी को या लड़की को? समस्या अदालत से पहले हमारे दिमाग में बैठी है।

हम बेटियों को सिखाते हैं रात में मत निकलो, ज्यादा मत हँसो, लोकेशन भेजते रहो, कपड़े संभालो, दोस्ती सोच समझकर करो।

किसी ने बेटों से पूछा तुम अपनी नज़र कब संभालोगे? तुम "ना" को "ना" कब मानोगे? तुम अपनी मर्दानगी को हिंसा से अलग कब करोगे?

सच यह है कि

*हम सुरक्षा नहीं, नियंत्रण सिखाते हैं।

*हम सम्मान नहीं, डर का सिस्टम बनाते हैं।

और जब कोई घटना होती है, तो समाज का पहला सवाल अपराधी से नहीं, पीड़िता से होता है "वह वहाँ क्यों थी?"

यह सवाल ही हमारी हार है

*हमारे शहरों में सीसीटीवी बढ़ रहे हैं, पर संवेदनशीलता कम हो रही है।

* हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं पर लड़कियाँ आज भी अपने रास्ते का नक्शा बनाकर चलती हैं कहाँ लाइट है, कहाँ भीड़ है, कहाँ खतरा है।

यह कैसी आज़ादी है? जिसमें आधी आबादी हर कदम पर गणित लगाती है और सबसे खतरनाक बात कुछ लोग हर घटना में भी धर्म, जाति, राजनीति ढूँढ लेते हैं। जैसे दर्द भी अब विचारधारा देखकर बाँटा जाएगा।

महिला सुरक्षा कोई "महिला मुद्दा" नहीं है। यह समाज की सभ्यता का टेस्ट है और हम बार-बार फेल हो रहे हैं।

हमें सख्त कानून से पहले सख्त आत्मचिंतन चाहिए।

* – घर में बेटों से बातचीत

* – स्कूल में जेंडर संवेदनशील शिक्षा

* – पुलिस में जवाबदेही

* – अदालत में समयबद्ध न्याय

* – और सबसे ज़रूरी पीड़िता को दोष देने की परंपरा का अंत

वरना हर बार हम मोमबत्ती जलाएँगे, दो दिन ट्रेंड चलाएँगे और तीसरे दिन किसी नई खबर की तरफ बढ़ जाएँगे।

लेकिन याद रखिए जिस दिन कोई लड़की बिना डर के रात में घर लौट सकेगी, उस दिन समझिएगा कि देश सच में विकसित हुआ है।

सवाल यह नहीं कि कानून कितना सख्त है। सवाल यह है कि हमारा चरित्र कितना जागा हुआ है।

डॉ. लोपा मेहता, द्वारा उनके अंतिम समय में कहीं जाने वाली सच्चाई, आपके लिए प्रस्तुत

जब शरीर साथ देना बंद कर दे, जब ठीक होने का कोई चांस नहीं हो, तब मेरा इलाज नहीं करें

संजय कुमार बाठला

"जब शरीर साथ देना बंद कर दे, जब ठीक होने का कोई चांस न हो, तो मेरा इलाज न करें। कोई वेंटिलेटर नहीं, कोई ट्यूब नहीं, कोई फालतू हॉस्पिटल का हंगामा नहीं। मेरे आखिरी पल शांति से बीतने चाहिए।

इलाज पर अड़ियल रवैये से ज़्यादा समझदारी को अहमियत देनी चाहिए।" मौत एक नेचुरल, ज़रूरी और बायोलॉजिकल प्रोसेस है।

मॉडर्न मेडिसिन ने कभी भी मौत को एक अलग कॉन्सेप्ट के तौर पर नहीं देखा है।

1. मेडिसिन हमेशा यह मानती है कि मौत किसी बीमारी की वजह से होती है, और उस बीमारी का इलाज करके मौत को रोका जा सकता है,

2. लेकिन फिजियोलॉजी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है और वह कहती हैं शरीर कोई मशीन नहीं है जो लगातार चलती रहती है। यह एक लिमिटेड सिस्टम है जिसमें एक खास मात्रा में वाइटल एनर्जी होती है। यह एनर्जी किसी स्टोर किए गए टैंक से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर से आती है। यह सूक्ष्म शरीर कुछ ऐसा है जिसे हर कोई महसूस करता है लेकिन देख नहीं सकता। यह मन, बुद्धि, यादों और चेतना से बना एक सिस्टम है।

यह सूक्ष्म शरीर वाइटल एनर्जी के लिए एक गेटवे की तरह काम करता है। यह एनर्जी पूरे शरीर में फैलती है, उसे ज़िंदा रखती है।

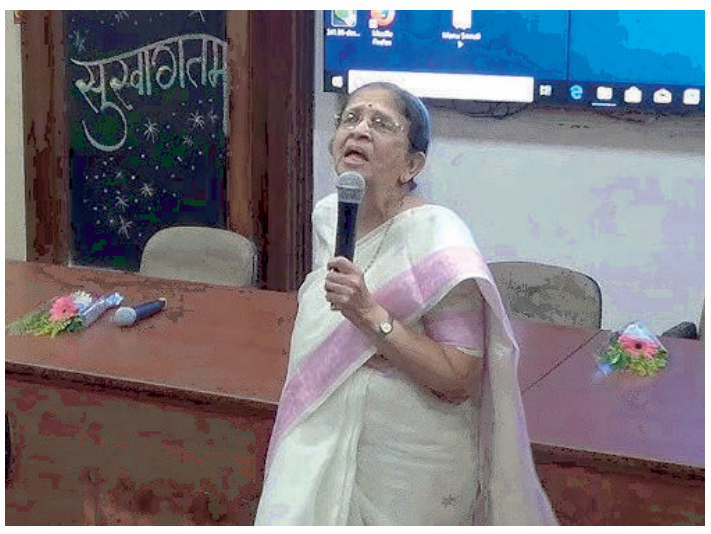

दिल की धड़कन, पाचन और सोचने की क्षमता, ये सब इसी पर निर्भर करते हैं लेकिन यह एनर्जी अनंत नहीं है।

हर शरीर में इसकी एक खास मात्रा होती है। मशीन में फिक्स्ड बैटरी की तरह, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता।

राम जितना चाबी घुमाते हैं, गुड़िया उतना ही नाचती हैर जैसा कि कहावत है।

जब शरीर में यह एनर्जी खत्म हो जाती है, तो सूक्ष्म शरीर फिजिकल शरीर से अलग हो जाता है। उस पल, शरीर शांत हो जाता है। हम इसे कहते हैं "जीवन शक्ति चली गई है।"

यह प्रोसेस किसी बीमारी या किसी गलती से जुड़ा नहीं है। यह शरीर की अंदरूनी रिदम है। यह रिदम गर्भ में शुरू होता है, आगे बढ़ता है, और मौत पर खत्म होता है।

एनर्जी हर पल लगातार खर्च हो रही है। हर सेल, हर अंग अपनी उम्र पूरी करता है। और जब पूरे शरीर का "कोटा" खत्म हो जाता है, तो शरीर शांति से आराम करने लगता है।

मौत का पल घड़ी से नहीं मापा जाता। यह एक बायोलॉजिकल टाइम है। यह हर इंसान के लिए अलग होता है। कुछ लोगों की ज़िंदगी 35 साल में पूरी होती है, तो कुछ की 90 साल में। लेकिन दोनों ही अपनी पूरी यात्रा पूरी करते हैं।

अगर हम इसे हार या ज़बरदस्ती की चीज़ ना समझें, तो कोई भी अधूरा नहीं मरता।

जब मॉडर्न मेडिसिन ज़िद करके मौत को रोकने की कोशिश करती है, तो ना सिर्फ़ मरीज़ का शरीर बल्कि पूरा परिवार थक जाता है। एक सांस के लिए आईसीयू में एक महीने का खर्च कभी-कभी ज़िंदगी भर की बचत खत्म कर सकता है। रिश्तेदार कहते रहते हैं, "अभी भी उम्मीद है," लेकिन मरीज़ का शरीर बहुत पहले से कह रहा है, "बस बहुत हो गया।"

लेकिन सवाल यह है

1. क्या हमने अपने लिए ऐसा फ़ैसला किया है?

2. क्या हमारा परिवार उस इच्छा का सम्मान करेगा? और

3. क्या समाज में उसका सम्मान किया जाएगा?

4. क्या हमारे हॉस्पिटल ऐसी इच्छाओं का सम्मान करते हैं, या हर सांस का बिल आता है, और हर मौत पर इल्ज़ाम लगते हैं?

यह इतना आसान नहीं है। लॉजिक और भावनाओं में बैलेंस बनाना शायद सबसे मुश्किल काम है।

अगर हम मौत को शरीर की अंदरूनी लय से होने वाली एक शांतिपूर्ण, ज़रूरी प्रक्रिया के तौर पर देखना सीख लें, तो शायद मौत का डर कम हो जाएगा, और डॉक्टरों से हमारी उम्मीदें ज़्यादा असलियत के करीब हो जाएंगी।

मेरी राय में, हमें मौत से लड़ना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय उससे पहले जीने की तैयारी करनी चाहिए और जब वह पल आए तो शांति से, इज्ज़त के साथ उसका सामना करना चाहिए।

बुद्ध के शब्दों में — मौत ज़िंदगी के सफ़र का अगला पड़ाव है। कोई भी साइंस इसे हमेशा रहने वाला नहीं बना सकता। इसलिए हमें इस सच्ची हालत को देखना चाहिए।

मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा, क्या है महत्व?

पिंकी कुंडू

शनिवार और मंगलवार को हनुमानजी की पूजा करने से हनुमान जी अधिक प्रसन्न होते है। इस दिन पूजा-अर्चना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप के ऊपर कोई संकट आ रहा है तो इन संकटों से निजात पाने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन्हें नहीं जानता हो।

हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। शनिवार और मंगलवार का दिन इनके पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उतम माना जाता है। मंगलवार के दिन बन्दरों को गुड़, चने और केले खिलाने से हनुमान जी अधिक प्रसन्न होते है। इससे भक्तों के कष्ट, रोग और पीड़ा आदि दूर होते है। ऐसा करने से संकट दूर होते है। परिवार में सुख समृद्धि होती है।

मंगलवार का व्रत करने पर गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत 21 हफ्ता तक रखना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य के सभी दोष नष्ट हो जाते है।

व्रत व पूजन के समय हनुमान जी के लाल पुष्प चढावे और लाल वस्त्र धरण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए।

ॐ हं हनुमंतये नमः मंत्र का जप करने से हनुमान जी प्रसन्न होत है। हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् का रुद्राक्ष की माला से जप करें। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। राम राम नाम मंत्र का 108 बार जप करें।

हनुमान जी राम के अनन्य भक्त है। श्रीराम का गुणगान करने से हनुमान जी अपने भक्त पर बहुत ही प्रसन्न होते है। हनुमान जी को नारियल, धूप, दीप, सिंदूर अर्पित करें। हनुमानजी के दिन मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।

राम रक्षा स्त्रोत, बजरंगबाण, हनुमान अष्टक का पाठ करें। हनुमान आरती, हनुमत स्तवन, राम वन्दना, राम स्तुति, संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। परिवार सहित मंदिर में जाकर मंगलकारी सुंदरकांड पाठ करें।

हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर का चोला, गुड़-चने चढ़ाएं। आटे से निर्मित प्रसाद वितरित करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर रामभक्त हनुमान का गुणगान करें।

हनुमानजी के कुछ अदभुत मंत्र?
हनुमान जी की पूजा के लिए लोग मुख्य रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लेकिन हनुमान जी की पूजा के लिए कुछ आसान मंत्र निम्न हैं

1. डर या भूत दूर करने वाले मंत्र

ॐ दक्षिणमुखाय पच्चमुख हनुमते करालबदनाय
नारसिंहाय ॐ हां हीं हूं हौं हः सकलभीत प्रेतदमनाय स्वाहाः।
प्रनवउं पवनकुमार खल बन पावक ग्यानधन।
जासु हृदय आगार बसिंह राम सर चाप धर।।

2. शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए हनूमान जी के इस मंत्र का स्मरण करना चाहिएः

ॐ पूर्वकपिमुखाय पच्चमुख हनुमते टं टं टं टं टं सकल शत्रु सहंरणाय स्वाहा।

3. रक्षा व यथेष्ट लाभ मंत्र

अज्जनागर्भ सम्भूत कपीन्द्र सचिवोत्तम।
रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन्-रक्ष सर्वदा।।

4. मुकदमे में विजय के लिए

पवन तनय बल पवन समाना।
बुद्धि विवेक विग्यान निधाना।

5. धन और स्मृद्धि के लिए

मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशन।
शत्रुन संहर मां रक्षा श्रियं दापय में प्रभो।।

6. कार्य की सिद्धि के लिए

ॐ हनुमते नमः
हनुमान अंगद रन गाजे।
हांके सुनकृत रचनीचर भाजे।।

इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य की अच्छी सेहत रहती है।

ऐसे करें सुंदरकांड का पाठ?
सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से शनिवार तथा मंगलवार को करने पर सभी संकटों का नाश करता है परन्तु आवश्यकता होने पर इसका पाठ कभी भी किया जा सकता है। पाठ करने से पहले भक्त को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद किसी निकट के मंदिर अथवा घर पर ही एक चौकी पर हनुमानजी की प्रतिमा को विराजमान कर स्वयं एक आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद बजरंगबली की प्रतिमा को सादर फूल-माला, तिलक, चंदन, आदि पूजन सामग्री अर्पण करनी चाहिए।

हनुमान जी को संकटमोचक के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान नाम लेने भर से बुरी और नकरात्मक शक्तियां भाग जाती है।

वहीं हनुमान चालीसा को नियमित रूप से जपने पर हर तरह के संकट दूर होते हैं। इसके अलावा सुंदर कांड का पाठ करने से मन को शांति मिलने के साथ कई लाभ मिलते हैं।

श्रीरामचरितमानस के सुंदरकांड अध्याय में बजरंग बली की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें विशेष रूप से हनुमान जी के विजय का गान किया गया है जो पढ़ने वाले में आत्मविश्वास का संचार करता है।

सुंदरकांड पाठ की सबसे खास बात यह है कि इससे ना सिर्फ हनुमानजी का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि भगवान श्रीराम का भी आर्शीवाद प्राप्त होता है।

ज्योतिष के अनुसार विशेष रूप से शनिवार तथा मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने वाले को सभी संकटों से छुटकारा मिलता है और अनेकानेक अच्छे परिणाम सामने आते हैं।

इसके सस्वर पाठ से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां यथा भूत-प्रेत, चुडैल, डायन आदि भी घर से चली जाती हैं। साथ ही घर के सदस्यों पर आए बड़े से बड़े संकट सहज ही टल जाते हैं। इसके अलावा यदि जन्मकुंडली या गोचर में शनि, राहु, केतु या अन्य कोई दुष्ट ग्रह बुरा असर दे रहा है तो वह भी सहज ही टल जाता है। शनि की साढ़े साती व ढैय्या में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है।

यदि यह पाठ पूजा किसी हनुमान मंदिर में कर रहे हैं तो उनकी हनुमान प्रतिमा को चमेली का तेल मिश्रित सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद भगवान श्रीगणेश, शंकर-पार्वती, भगवान राम-सीता-लक्ष्मण तथा हनुमान जी को प्रणाम कर अपने गुरुदेव तथा पितृदेवों का स्मरण करें।

तत्पश्चात हनुमानजी को मन-ही-मन ध्यान करते हुए सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें। पूर्ण होने पर हनुमानजी की आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं तथा वहां मौजूद सभी लोगों में बांटे। आपके सभी बिगड़े हुए काम तुंरत ही पूरे होंगे।

क्या विकसित भारत की नजर में यही बचपन है जो आज हमारे बच्चे जी रहे हैं?

पिंकी कुंडू

हमारे देश में बच्चे अब जन्म नहीं लेते अपितु "अटेम्प्ट" जन्म लेते हैं।

नर्सरी से पूछा जाता है
*स्कूल -- कौन सा?
*स्कूल से — कोचिंग कौन सी?
*कोचिंग से — रैंक क्या आई?

किसी ने आज तक नहीं पूछा होगा बच्चा खुश है या नहीं।

सुबह स्कूल, दोपहर कोचिंग, रात टेस्ट

और बीच में जो सांस बचती है उसे "डिस्ट्रैक्शन" कहा जाता है।

हम कहते हैं "हम तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहे हैं" पर सच यह है हम अपनी असफल महत्वाकांक्षाओं का अपने बच्चों से बदला ले रहे होते हैं।

हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता, पर हर घर चाहता है उसका बच्चा पड़ोसी के बच्चे से आगे हो। अब पढ़ाई ज्ञान नहीं, तुलना का हथियार बन चुकी है। गलती से नंबर कम आएँ तो समझाया नहीं जाता, याद दिलाया जाता है कि फीस कितनी लगी है।

हमने बच्चों को सिखाया गलती मत करो वरना प्यार कम हो जाएगा और फिर पूछते हैं बच्चे दबाव में क्यों हैं?

सच यह है हम उनका करियर नहीं बना रहे, हम डर से आज्ञाकारी लोग बना रहे हैं।

जब शिक्षा विकल्प नहीं छोड़ती, तब वह शिक्षा नहीं रहती संस्कारित मजबूरी बन जाती है और जिस दिन बच्चा यह मान ले

कि उसकी कीमत रैंक है उस दिन वह पढ़ाई नहीं कर रहा होता वह खुद को साबित करने की सजा काट रहा होता है।

नाम जाप की सबसे आसान और प्रभावी विधि क्या

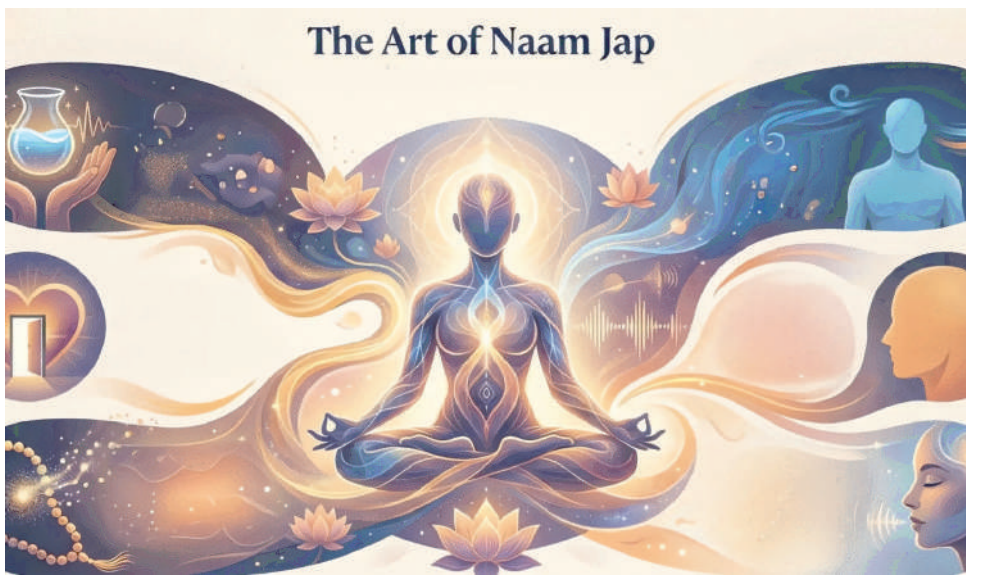

पिंकी कुंडू

नाम जाप कठिन साधना नहीं है। इसे जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं। सही समझ और नियमित अभ्यास ही इसे प्रभावी बनाते हैं। नीचे सरल और व्यवस्थित तरीके से पूरी विधि समझिए।

1. नाम जाप क्या है? नाम जाप का अर्थ है — किसी एक ईश्वर नाम को बार-बार स्मरण करना, उच्चारण करना या मन में दोहराना। यह ध्वनि से अधिक भाव और निरंतरता पर आधारित है।

*नाम = ध्वनि
*जाप = पुनरावृत्ति

निरंतर पुनरावृत्ति से मन एक दिशा में स्थिर होने लगता है।

2. कौन सा नाम जपें?
*अपने इष्टदेव का नाम
*गुरु द्वारा दिया गया नाम या
*सार्वभौमिक नाम — "राम", "कृष्ण", "शिव", "राधे", "ॐ नमः शिवाय" आदि

महत्व नाम बदलने में नहीं, स्थिर रहने में है। एक नाम चुनिए और उसी पर टिकिए।

3. नाम जाप की सबसे आसान विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)

चरण 1: समय चुनें
*सुबह ब्रह्ममुहूर्त श्रेष्ठ या
*रात सोने से पहले

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण — नियमित समय

चरण 2: आसन
*रीढ़ सीधी
*आंखें हल्की बंद
*शरीर ढीला, तनाव रहित

चरण 3: श्वास के साथ जोड़ें
*सबसे सरल तकनीक:
*सांस अंदर — मन में नाम
*सांस बाहर — मन में वही नाम

उदाहरण:
*श्वास अंदर — "राम"
*श्वास बाहर — "राम"

इससे मन और प्राण एक लय में आ जाते हैं।

चरण 4: माला (यदि चाहें) 108 नाम प्रतिदिन या 5–10 मिनट से शुरुआत, संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है निरंतरता

4. तीन स्तर का नाम जाप
1. वाचिक जाप (उच्चस्वर में) शुरुआत के लिए अच्छा। मन जल्दी जुड़ता है।
2. उपांशु जाप (होंठ हिलें, आवाज़ नहीं) मन और सूक्ष्म हो जाता है।
3. मानसिक जाप (मन में) सबसे शक्तिशाली स्तर। यह तब करें जब मन स्थिर होने लगे।

5. *नाम जाप करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
*जल्दी परिणाम की अपेक्षा न रखें
*बार-बार नाम न बदलें
*तुलना न करें
*नियमितता रखें
*भाव रखें
*निरंतरता रखें

नाम का प्रभाव धीरे-धीरे
*मन की अशांति को कम करता है।
*विचारों की गति धीमी होती है।
*चिंता कम होती है।
*भीतर स्थिरता आती है।

6. व्यस्त लोगों के लिए आसान तरीका यदि बैठकर जाप संभव न हो: चलते समय मन में नाम काम करते समय धीमा मानसिक जाप

सोने से पहले 5 मिनट निरंतर नाम

नाम को जीवन का "पृष्ठभूमि मंत्र" बना दीजिए।

7. नाम जाप का वास्तविक लाभ
*मन स्थिर होता है
*क्रोध कम होता है
*निर्णय क्षमता स्पष्ट होती है
*भय घटता है
*प्राण लयबद्ध होते हैं

धीरे-धीरे नाम जप "प्रयास" से "स्वभाव" बन जाता है।

अंतिम निष्कर्ष नाम जाप कठिन साधना नहीं — यह निरंतर स्मरण की प्रक्रिया है। जितना सरल रखेंगे, उतना टिकेगा। जितना टिकेगा, उतना बदलेगा।

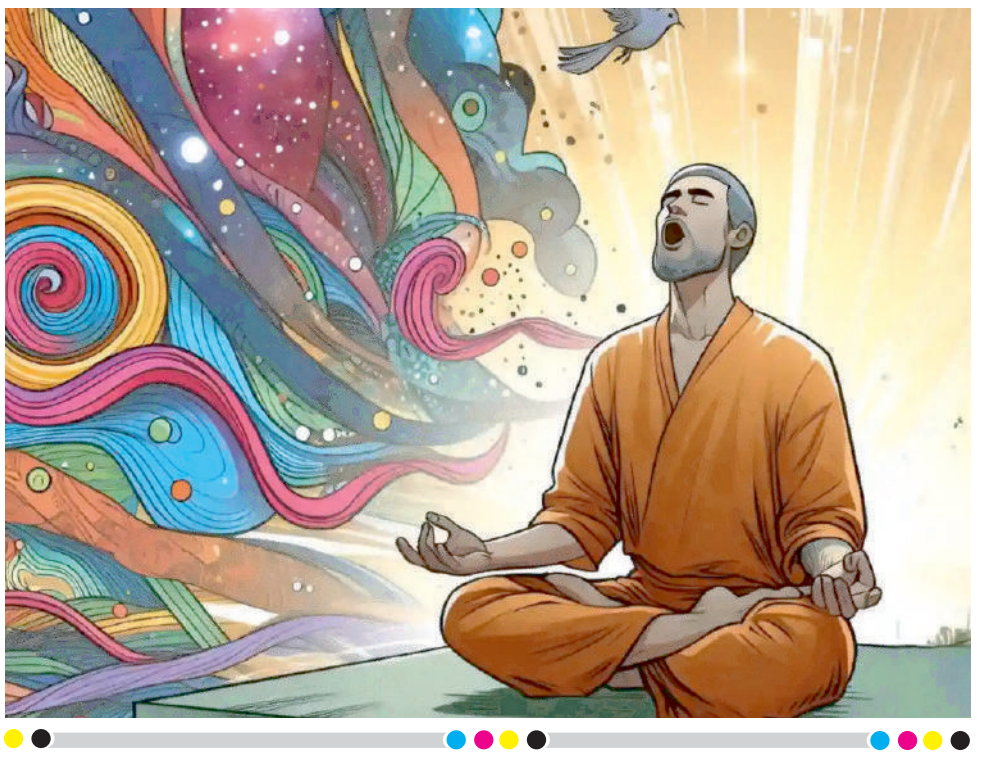

घर तब संतुलित जब अहंकार नहीं जिम्मेदारी बाटी जाए

----"स्त्री पुरुष का सम्बन्ध" ----

पिंकी कुंडू

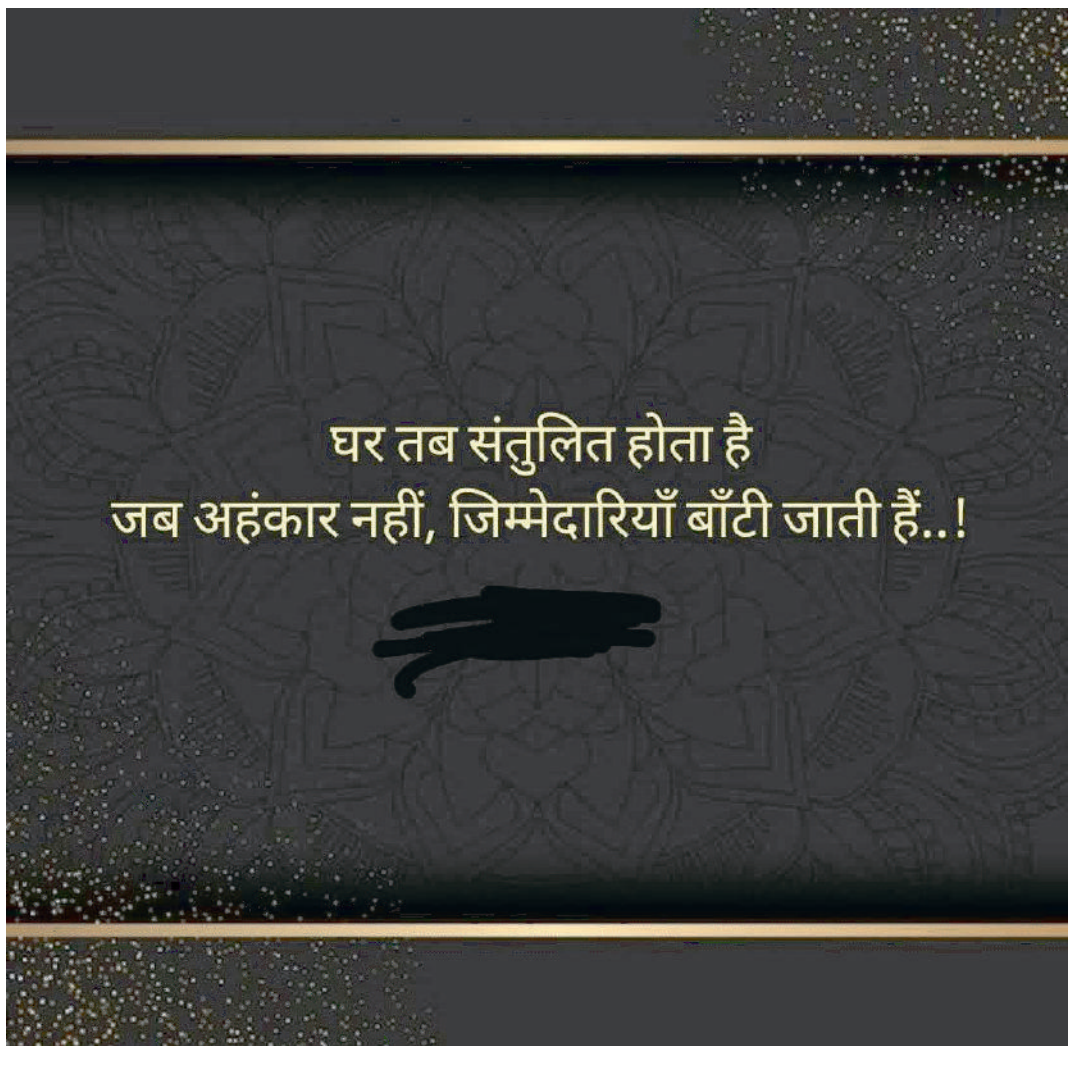

हर पुरुष में इतनी कोमलता होनी चाहिए कि वह स्त्री की थकान को महसूस कर सके क्योंकि औरत की थकान सिर्फ़ शरीर की नहीं होती।

*वो थकान होती है जिम्मेदारियों की,
*चुप्पियों की,
*सबको संभालते-संभालते खुद को टालते रहने की।

वो थकान है

*जब वह बीमार होकर भी रसोई में खड़ी रहती है,
*जब वह रोना रोककर बच्चों के सामने मुस्कुरा देती है,

जब उसका "मैं भी थक गई हूँ" अक्सर घर की दीवारों में ही दब जाता है

और हर स्त्री में

*इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि वह पुरुष की जिम्मेदारियों का भार समझ सके क्योंकि पुरुष की थकान भी सिर्फ़ कमाई की नहीं होती।

*वो थकान है अपेक्षाओं की,
*हर हाल में मज़बूत दिखने की मजबूरी की,
*"मत रो, तुम पुरुष हो" सुनते-सुनते भावनाएँ भीतर गाड़ देने की।

वो भी टूटता है, बस उसे टूटने की इजाज़त कम मिलती है।

समस्या न स्त्री है, न पुरुष।

समस्या वह सोच है जो कामों को लिंग से बाँट देती है और भावनाओं को भी।

*जब रसोई सिर्फ़ "औरत का क्षेत्र" बन जाती है और
*कमाई सिर्फ़ "आदमी का कर्तव्य",

तो घर साझेदारी नहीं, व्यवस्था बन जाता है और व्यवस्था में प्रेम धीरे-धीरे औपचारिक हो जाता है।

एक स्वस्थ घर वहाँ बनता है जहाँ बर्तन उठाना अपमान नहीं, और कमाना अहंकार नहीं। जहाँ "मदद" शब्द की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि जिम्मेदारी साझा हो।

समानता का अर्थ एक जैसा होना नहीं, बल्कि एक-दूसरे के हिस्से को समझना है

जब पुरुष स्त्री की चुप थकान पढ़ने लगे और स्त्री पुरुष की अनकही चिंता, तभी रिश्ता बराबरी का बनता है।

घर को संतुलित रूप से चलाने के लिए सिर्फ दो लोग नहीं, दो समझदार दिल चाहिए।

इसलिए जरूरी है कि हर इंसान में दूसरे का थोड़ा-सा अंश हो क्योंकि रिश्ता अधिकार से नहीं, साझेदारी से टिकता है और जहाँ साझेदारी होती है वहीं घर सच में घर बनता है।

समाधान शिविर की हर शिकायत का समयबद्ध निपटान करें अधिकारी : डीसी

परिवहन विशेष न्यूज

- एक छत के नीचे सभी विभागों की शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से लगाए जा रहे समाधान शिविर

-डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिला स्तरीय समाधान शिविर में सुनी जनसमस्याएं

झज्जर, 26 फरवरी। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी एवं संतोषजनक निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का एक ही स्थान पर त्वरित समाधान करना है, जिससे सुशासन की अवधारणा को और अधिक मजबूती मिले।

डीसी गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई कर रहे थे।

उपायुक्त ने सभी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक सोमवार और वीरवार प्रातः 10 से 12 बजे तक जिला मुख्यालय के साथ-साथ बहादुरगढ़, बेरी और बादली उपमंडल मुख्यालयों पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से प्रशासन आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रहा है।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिकायतों का निपटारा करते समय संबंधित नागरिक से संवाद अवश्य स्थापित करें तथा उन्हें विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई से अवगत कराएं। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि शिकायतों का स्थायी समाधान भी सुनिश्चित होगा और नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास मजबूत होगा।

इस अवसर पर एसडीएम अंकित कुमार चौकसे आईएएस, एसीपी बादली, डीडीपीओ निशा तंवर, जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सईएन अश्वनी सांगवान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

केवल लाइसेंसशुदा कॉलोनियों में ही प्लाट खरीद करें नागरिक : डीसी

गांव इसरहेड़ी में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई

बिना लाइसेंस अवैध कॉलोनी की जमीन की खरीद व बिक्री पर रोक

बहादुरगढ़, 26 फरवरी। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि गांव इसरहेड़ी में बगैर लाइसेंस व तय प्रक्रिया पूरी किए अवैध कॉलोनी काटे जाने के मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि गांव इसरहेड़ी के मुसतिल /किला नंबर 120/2,121,122,123,124,271, 280,468, 471, 470, 476, 477, 1261,1262, 1267,696, 697, 698, 699 में सडक़ बनाकर और नक्शा दिखाकर उक्त खसरा नंबरों से जुड़े किसी भी प्रकार के सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड/एग्जीक्यूट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीटीपी कार्यालय के अनुसार उक्त मामले में न तो विभाग से कोई लाइसेंस, सीएलयू और न ही एनओसी प्राप्त की गई है।

डीटीपी कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को उक्त अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार का बिजली कनेक्शन जारी न करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो के थाना प्रभारी को उक्त साइट पर सख्त निगरानी रखने और किसी भी प्रकार के निर्माण या सडक़ नेटवर्क विकसित न होने देने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आमजन से अपील की है कि वे केवल सरकार द्वारा वैध एवं स्वीकृत कॉलोनियों में ही अपना मकान बनाने के लिए प्लाट खरीद सकते हैं। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है।

नकल रहित परीक्षाएं संचालित करवाना प्रशासन का दायित्व : एसडीएम

एसडीएम रेणुका नांदल व एसीपी अनिल कुमार ने जहाजगढ़ व दूबलधन स्कूलों में परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

परिवहन विशेष न्यूज

बेरी (झज्जर), 26 फरवरी। उपमंडल के चिन्हित स्कूलों में चल रही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए उपमंडल प्रशासन डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के निर्देशन में मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। बोर्ड परीक्षाओं के चलते गुरुवार को एसडीएम रेणुका नांदल व एसीपी बेरी अनिल कुमार ने जहाजगढ़ व दूबलधन में चल रही परीक्षाओं के दौरान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।

एसडीएम रेणुका नांदल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि नकल रहित परीक्षा संचालन के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम करें। अगर कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो स्टाफ स्वयं जिम्मेवार होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर कोई भी अवांछित गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। नकल रहित परीक्षा का संचालन कराना प्रशासन का दायित्व है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्य करें। साथ ही नकल करने, कराने और मदद करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों व अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान नकल रोकने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस बीच एसीपी बेरी अनिल कुमार ने परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से परीक्षा केंद्र में घुसने का प्रयास करे तो उसे तुरंत राउंडअप करें। साथ ही आस-पास के क्षेत्र में झुंड बनाकर खड़े होने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करें।

पंचायत उपचुनावों के लिए मतदाता सूची अपडेट करने की अधिसूचना जारी

परिवहन विशेष न्यूज

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने दी जानकारी

झज्जर, 26 फरवरी। राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 163 तथा हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला झज्जर में चिन्हित ग्राम पंचायतों एवं उपचुनाव वाले क्षेत्रों के लिए वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार/अपडेट करने संबंधी अधिसूचना जारी की है।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न खंडों के गांवों में सरपंच, पंच तथा पंचायत समिति सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव प्रस्तावित हैं। उपचुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का अद्यतन (अपडेट) किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा अन्य संबंधित पदों के लिए वार्डवार मतदाता सूची का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाएगा।

मतदाता सूची तैयार करने का आधार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की मौजूदा मतदाता सूची का डाटा रहेगा।

उन्होंने बताया कि 2 मार्च तक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की वार्डवार प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन तथा दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी, जबकि

9 मार्च दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।वहीं 12 मार्च को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।

16 मार्च तक उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील दायर करने की अंतिम तिथि रहेगी।19 मार्च को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपीलों का निस्तारण। इसके उपरांत 27 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे तय समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें तथा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करें। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद अपने नाम, विवरण आदि की जांच कर लें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित समय के भीतर दावा या आपत्ति अवश्य प्रस्तुत करें, ताकि अंतिम सूची में सही एवं अपडेट विवरण शामिल हो सके।

बरवाला में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर जांच करने पहुंची सीएम फ्लाइंग टीम

हरियाणा/हिसार :राजेश सलूजा

बरवाला नगर परिषद क्षेत्र में हिसार-टोहाना रोड स्थित कथित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वीरवार को मुख्यमंत्री उड़नदस्ता (सीएम फ्लाइंग) की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। टीम ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया।

जांच के दौरान सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना, एएसआई सुरेंद्र, नगर परिषद बरवाला के भवन निरीक्षक सुमित तथा कनिष्ठ अभियंता परवीन मौजूद रहे। अधिकारियों ने हिसार-टोहाना रोड पर चल रहे निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल की।

शिकायत में लगाए गए थे गंभीर आरोप

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप

लगाया था कि उक्त स्थान सरकारी जमीन है, जिस पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना था कि वह इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों को कई बार अवगत करवा चुका है और अवैध कब्जा हटवाने की मांग भी कर चुका है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

शिकायत में बताया गया है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई थी।

नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य रुकवाया गया

सीएम फ्लाइंग टीम के मौके पर पहुंचने के बाद पाया गया कि संबंधित स्थल पर कुछ निर्माण कार्य किया गया था। नगर परिषद बरवाला द्वारा उक्त स्थल पर निर्माण कार्य रुकवाया हुआ है। बताया जा रहा है कि उक्त स्थान पर पिछले काफी समय से मुनिष नामक व्यक्ति का कब्जा बताया जा रहा है, जिसे पहले भी नगर परिषद की ओर से नोटिस जारी किया जा चुका है।

निरीक्षण के उपरांत टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची, जहां संबंधित रिकॉर्ड की जांच की गई और आगे की कानूनी कार्रवाई के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।

जानकारी के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें नागरिक : डीसी

पौष्टिक भोजन लें तथा सुबह शाम योगा एवं ध्यान करें नागरिक

झज्जर, 26 फरवरी। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने नागरिकों से बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन दिनों दिन में गर्मी और सुबह-शाम ठंड का असर देखा जा रहा है, जिससे लोग अक्सर लापरवाही बरत लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन सजग है। उन्होंने कहा कि आमजन पौष्टिक भोजन करें और सुबह शाम नियमित योगा एवं ध्यान करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले परामर्श की भी अनुपालना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम में बुखार, खांसी, जुकाम, एलर्जी, जोड़ों में दर्द आदि कोई भी लक्षण प्रतीत होने पर तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र में स्वास्थ्य जांच करवाएं।

डीसी ने बताया कि तापमान में इस तरह के उतार-चढ़ाव के दौरान सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हल्के और मौसम के अनुसार कपड़े पहनना, पर्याप्त पानी पीना, साफ-सफाई का ध्यान रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सतर्कता रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें और खुद से दवा लेने से बचें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि स्वस्थ आदतों को अपनाकर खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।

जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक आज (27 फरवरी, शुक्रवार) को : सीटीएम

-उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल करेंगे बैठक की अध्यक्षता

झज्जर, 26 फरवरी। जिले में नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र एवं स्थायी निपटान के उद्देश्य से गठित जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक आज (27 फरवरी शुक्रवार) को लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर बाद तीन आरंभ होगी, जिसकी अध्यक्षता डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल करेंगे। सीटीएम नमिता कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागाध्यक्षों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रत्येक परिवाद पर आवश्यक विचार-विमर्श करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सीटीएम ने कहा कि लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठकें जनहित से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच हैं, जो शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की भावना को सुदृढ़ करती हैं।

बेरी में बिजली उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक आज

बेरी (झज्जर), 26 फरवरी। बिजली निगम डिवीजन बेरी के उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए 27 फरवरी, शुक्रवार को बिजली अदालत और उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम की बैठक की आयोजित की जाएगी। एसडीओ सुनील कुमार ने बताया कि बैठक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएनएल) के बेरी कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में बिजली उपभोक्ताओं की बिजली बिल, कनेक्शन, लोड संबंधित समस्याओं को सुना जाएगा और उनका मौके पर ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई उपभोक्ता फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी शिकायत अध्यक्ष अभियंता झज्जर के समक्ष रख सकता है।

डर के साए में बचपन, भटकाव की राह पर युवा : क्या हम सुरक्षित भविष्य गढ़ पा रहे है?

परिवहन विशेष न्यूज

समाज की सबसे अनमोल पूँजी उसके बच्चे और युवा होते हैं। उनकी मुस्कान में भविष्य की आशा छिपी होती है और उनके सपनों में राष्ट्र की दिशा। परन्तु आज यह सच्चाई असहज कर देने वाली है कि अनेक घरों में आशा की जगह चिंता और विश्वास की जगह भय ने लेना शुरू कर दिया है।

माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षित,संस्कारी और सुरक्षित देखना चाहते है,लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश ने उनके मन कलमे अनकहा डर पैदाकर दिया है। वे बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। अनुशासन उन्हें मार्गदर्शन नहीं, बल्कि दबाव जैसा प्रतीत होता है। माता-पिता का अनुभव और समझ बच्चों को नियंत्रण जैसा लगने लगता है, जबकि वे स्वयं त्वरित संतुष्टि और आभासी पहचान की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने मनोरंजन और जानकारी के अवसर दिए, परन्तु साथ ही धैर्य, एकाग्रता और वास्तविक संवाद को भी प्रभावित किया है।

इसी के साथ नशे की बढ़ती प्रवृत्ति परिवारों के लिए गहरी पीड़ा का कारण बनती जा रही है। कुछ युवा जिज्ञासा, तनाव या संगति के प्रभाव में ऐसे पदार्थों की ओर आकर्षित हो जाते हैं जो धीरे-धीरे उनकी सोच, व्यवहार और निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। माता-पिता के लिए यह स्थिति अत्यंत कठिन होती है, क्योंकि वे अपने ही बच्चों को धीरे-धीरे बदलते हुए देखते हैं और असहाय महसूस करते हैं।

भावनात्मक स्तर पर भी युवाओं के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, परन्तु जब संबंधों में धैर्य, सम्मान और जिम्मेदारी की समझ कम हो जाती है, तो अस्वीकार या निराशा कई बार क्रोध और असंतुलन में बदल जाती है। यही असंतुलन समाज में बढ़ती आक्रामकता और असंवेदनशीलता का कारण बन सकता है। सबसे गंभीर चिंता समाज में बढ़ती असुरक्षा की भावना है। आज अनेक माता-पिता अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजते समय भी चिंता महसूस करते हैं। यह भय केवल कल्पना नहीं, बल्कि उन घटनाओं से जुड़ा है जिन्हें लोग समाचारों और आसपास के अनुभवों में सुनते और पढ़ते हैं। जब परिवारों को अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बार-बार आशंकित होना पड़े, तो यह पूरे समाज के लिए चेतावनी का संकेत होता है।

माता-पिता के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा हो जाता है — यदि वे काम पर जाएँ

तो बच्चों की सुरक्षा की चिंता, और यदि घर पर रहें तो परिवार का पालन-पोषण कैसे हो। जीवन की आवश्यकताओं और सुरक्षा के भय के बीच संतुलन बनाना कई परिवारों के लिए मानसिक संघर्ष बन गया है। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यवस्थागत संवेदनशीलता की माँग करती है।

इन सबके बीच यह भी समझना आवश्यक है कि समस्या का कारण किसी एक पक्ष में नहीं है। बदलती जीवनशैली, संवाद की कमी, मानसिक तनाव, गलत संगति, डिजिटल प्रभाव और मूल्य आधारित मार्गदर्शन का अभाव — ये सभी मिलकर उस वातावरण को जन्म दे सकते हैं जहाँ बच्चे और युवा दिशा से भटकने लगते हैं और माता-पिता असुरक्षित महसूस करते हैं।फिर भी आशा समाप्त नहीं हुई है। जब परिवारों में संवाद मजबूत होगा, जब बच्चों को केवल निर्देश नहीं बल्कि समझ और समय मिलेगा, जब समुदाय और संस्थाएँ मिलकर सुरक्षित वातावरण बनाएँगी और जब युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देंगे, तब यह भय धीरे-धीरे विश्वास में बदल सकता है। समाज का भविष्य भय से नहीं, बल्कि सामूहिक जागरूकता से सुरक्षित होता है। यदि आज हम बच्चों की सुरक्षा, युवाओं के मानसिक संतुलन और परिवारों के संवाद को प्राथमिकता दें, तो आने वाला समय संतुलित और सुरक्षित हो सकता है। अन्यथा विकास की गति बढ़ती रहेगी, परन्तु मन की शांति और सामाजिक विश्वास कमजोर पड़ते जाएँगे।

यह समय केवल घटनाओं पर दुख व्यक्त करने का नहीं, बल्कि सुरक्षा, जागरूकता और संवेदनशील व्यवस्था को और मजबूत करने का है। परिवारों को यह विश्वास मिलना।

आवश्यक है कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, और युवाओं को यह दिशा मिलना आवश्यक है कि उनका जीवन मूल्यवान है। सरकार, समाज, शिक्षण संस्थानों और परिवारों के संयुक्त प्रयास से ही ऐसा वातावरण बन सकता है जहाँ माता-पिता भय में नहीं, विश्वास में अपने बच्चों को भविष्य की ओर भेज सकें। बच्चों की सुरक्षा केवल पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता है — क्योंकि सुरक्षित बचपन ही सुरक्षित भविष्य की नींव होता है।

-रेवरेंड डॉ. जितेंद्र सिंह
लेखक, सामाजिक चिंतक, चंडीगढ़।

निजी अस्पताल: यानी जेबें खाली करने के संस्थान

कुछ साल पहले गुडगांव से एक लड़की ने लिखा था, कि अपने - पति को बुखार के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां रात भर उसके पति के तरह-तरह के टैस्ट चलते रहे। दो - दिन बाद छुट्टी के वक्त 10 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया गया। -

एक दूसरे लड़के ने अपनी मां के बारे में एक दुखद घटना लिखी थी, उसने बताया कि मां को पेट में दर्द हुआ, अस्पताल में बताया गया, कि मां के गाल- ब्लैडर में पथरी है, उनका इलाज होता रहा लेकिन तबियत बिगड़ती गई, उसने मां को कहीं और ले जाने की बात की, लेकिन डराया गया कि कहीं रास्ते में ही कुछ न हो जाए। कहा गया - कि तबियत जैसे ही सुधरेगी, पथरी का आप्रेशन किया जाएगा। लेकिन तबियत नहीं सुधरी, और अंत में मां की मृत्यु हो गई। तब लड़का मां के पोस्टमार्टम पर अड़ गया, पोस्टमार्टम में जो दिल - दहला देने वाली बात सामने आई, वह यह थी कि उसकी मां को - पथरी थी ही नहीं।

बहुत से निजी अस्पतालों में जब से मार्कीटिंग - नामक विभाग का प्रवेश हुआ है, तब से डाक्टरों को टारगेट्स दिए - जाने लगे हैं। टारगेट का मतलब ही यही है कि उन्हें कितना पैसा - कमाकर अस्पताल को देना है। ऐसे में डाक्टर अधिक से अधिक दवाएं - लिखते हैं, जिन टैस्टों की जरूरत नहीं होती, वे भी कराए जाते हैं। -

हाल ही में संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 40 प्रतिशत से अधिक ऐसे आप्रेशन किए जाते हैं, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती। भारत में लोग डाक्टरों को देवता के रूप में - देखते हैं। जो उन्होंने कह दिया, वही ठीक है। आम आदमी को मालूम ही नहीं होता कि मरीज को बीमारी क्या है... ? अब मरीज केवल मुनाफा कमाने की मशीन है। इसके अलावा जिन लोगों के पास मैडिक्लेम होता है, वह तो और भी प्रताड़ित किये जाते हैं।

✍ भूपेंद्र सारस्वत 'सारथी'

कपिल कुटीर सांख्य योग आश्रम में त्रिदिवसीय वार्षिक पाटोत्सव एवं होली महोत्सव धूमधाम से प्रारम्भ

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन ।छटीकरा रोड़ स्थित श्रीकपिल कुटीर सांख्य योग आश्रम में ठाकुर श्री राधिका बिहारी जू महाराज का त्रिदिवसीय वार्षिक पाटोत्सव एवं होली महोत्सव विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रारंभ हो गया है ।महोत्सव का शुभारंभ महामंडलेश्वर साध्वी राधिका साधिका पुरी जटा वाली मां ने ठाकुर राधिका बिहारी जू महाराज एवं अपने सदगुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी कपिलानन्द महाराज ,ब्रह्मलीन साध्वी गोपी वाला मां व ब्रह्मलीन स्वामी गोकुलानंद महाराज आदि के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन व पूजन-अर्चन करके किया ।साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीकपिल कुटीर सांख्य योग आश्रम लगभग 95 वर्ष पुराना है ।यह श्रीधाम वृन्दावन का अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल है ।यहां के पूर्ववर्ती संतों ने अत्यंत घनघोर व कठिन भगवद साधना करके असंख्य व्यक्तियों का कल्याण किया है।

महोत्सव के समन्वयक ₹यूपी रत्न₹ डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि श्रीकपिल कुटीर सांख्य योग आश्रम की संस्थापक ब्रह्मलीन साध्वी गोपी वाला मां परम्-वीतरागी, भजनानंदी, विरक्त एवं निस्पृह संत थीं ।प्राचीन काल में इस स्थान पर घोर जंगल था ।हिंसक प्रवृत्ति के पशु यहां विचरण किया करते थे ।जिनके द्वारा आए दिन कोई न कोई हादसा हो जाता था ।इस सब के मध्य भी साध्वी गोपी वाला मां ने यहां रहकर घोर भगवद साधना की।

अपराह्न ठाकुर राधिका बिहारी जू महाराज की दिव्य व भव्य शोभायात्रा समूचे नगर में अत्यंत धूमधाम व गाजे बाजे के साथ निकाली गई ।जिसमें ब्रह्मलीन स्वामी कपिलानंद महाराज,ब्रह्मलीन साध्वी गोपी वाला मां, ब्रह्मलीन स्वामी गोकुलानंद महाराज आदि के चित्रपट शोभायात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे ।कई बैंडों के द्वारा भक्ति रस से सराबोर भजनों व पदों का एवं होली के रसियों का सुमधुर गायन हो रहा था ।महिलाएं सोलह श्रृंगार करके अत्यंत नयनाभिराम व चित्ताकर्षक नृत्य कर रहीं थीं ।शोभायात्रा का नगर वासियों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर, रंग-गुलाल उड़ाकर व आरती उतारकर भव्य स्वागत किया।

इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी डॉ. आदित्यानन्द महाराज, स्वामी भुवनानंद महाराज, वरिष्ठ भाजपा नेता रामदेव सिंह भगौर, प्रमुख समाजसेवी देवी सिंह कुंतल, डॉ. राधाकांत शर्मा, भागवताचार्य साध्वी आशानन्द शास्त्री, पुरुषोत्तम गौतम, पवन गौतम, पप्पू सरदार, राजू शर्मा, राजकुमार शर्मा, नमिता साधिका, पूर्णिमा साधिका, कमला साधिका आदि की उपस्थिति विशेष रही।

निराला साहित्य,कला मंच तथा हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का सयुक्त आयोजन

डॉ. शंभू पंवार 'निराला उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान' से सम्मानित

नई दिल्ली, 26 फरवरी। निराला साहित्य एवं कला मंच एवं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में सती साईं दास, कलानौर (रोहतक) में आयोजित राष्ट्रीय साहित्योत्सव एवं सम्मान समारोह में अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त लेखक, पत्रकार एवं विचारक डॉ. शंभू पंवार को चार दशक से अधिक समय से मूल्यपरक एवं सार्थक पत्रकारिता के लिए 'निराला उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान' से सम्मानित किया गया।

समारोह में मुख्य अतिथि धरा धाम इंटरनेशनल प्रमुख एवं मानद कुलपति प्रो. डॉ. सौरभ पाण्डेय तथा कार्यक्रम अध्यक्ष, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के निदेशक डॉ. धर्मदेव विद्यार्थी सहित विशिष्ट अतिथियों ने शॉल, माला और प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षाविद डॉ. एहसान अहमद, साहित्यकार डॉ. गीतांजलि नीरज अरोड़ा, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. शिवकुमार 'शिव' और मंच अध्यक्ष डॉ. सत्यवीर 'निराला' भी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि डॉ. पंवार ने अपनी निष्पक्ष, निर्भीक और समाजोन्मुखी लेखनी से पत्रकारिता को नई दिशा दी है। उनके लेख, समाचार, साक्षात्कार एवं विचार देश के 16 राज्यों के साथ-साथ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं।

पत्रकारिता के साथ-साथ साहित्य और सामाजिक सरोकारों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। वैश्विक स्तर पर मूल्यपरक पत्रकारिता और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें 26 मानद डॉक्टरेट एवं डी.लिट. उपाधियों सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। उनके पाँच साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं तथा एक एकल काव्य संग्रह प्रकाशनाधीन है। गणतंत्र दिवस 2026 पर आकाशवाणी द्वारा आयोजित विश्व के सर्वभाषा कवि सम्मेलन में सिंधी भाषा के अनुवादक कवि के रूप में सहभागिता कर उन्होंने झुंझुनूं एवं शेखावाटी क्षेत्र को गौरवान्वित किया।वैसे आपके आकाशवाणी दिल्ली से उनके साक्षात्कार एवं समसामयिक विषयों पर परिचर्चाएँ समय-समय पर प्रसारित होती रही हैं। समारोह में उपस्थित साहित्यकारों, पत्रकारों और गणमान्य अतिथियों ने डॉ. शंभू पंवार को सम्मान प्राप्ति पर बधाई देते हुए इसे पत्रकारिता जगत के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया।

माहे रमजान में दान से मिलती है अल्लाह की रज़ा, सेवा की भावना से भाईचारे का दें संदेश: वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ

इस पाक महीने में दान - जकात, सदका और खैरात के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना अत्यंत पुण्य का कार्य है : वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ ख़ान

रमजान की इबादतों-नमाज़, तिलावत और दुआ के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझें और ग़रीब जरूरतमंदों की सहायता में बढ़-चढ़कर भाग लें - दान और सेवा की भावना से समाज में भाईचारे, करुणा और एकता संदेश दे।

उत्तरप्रदेश, संजय सिंह। चांद के दीदार के साथ ही पवित्र माहे रमजान की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ ख़ान ने समाज के लोगों से रमजान की रूह को समझते हुए इबादत, आत्मसंयम और सेवा के मार्ग पर चलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रमजान केवल रोज़ा रखने का महीना नहीं, बल्कि आत्ममंथन, आध्यात्मिक शुद्धि और सामाजिक सौहार्द को सुदृढ़ करने का पावन अवसर है।

श्री ख़ान ने आगे कहा कि इस पाक महीने में दान - जकात, सदका और खैरात के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना अत्यंत पुण्य का कार्य है। इससे न केवल ग़रीब जरूरतमंदों की कठिनाइयाँ दूर होती हैं, बल्कि अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी आय का निर्धारित हिस्सा ग़रीब जरूरतमंदों पर खर्च कर समाज में समानता और सहानुभूति की भावना को मजबूत करें।

उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से आह्वान किया कि वे रमजान की इबादतों-नमाज़, तिलावत और दुआ के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझें और ग़रीब जरूरतमंदों की सहायता में बढ़-चढ़कर भाग लें। उनके अनुसार, दान और सेवा की भावना समाज में भाईचारे, करुणा और एकता का संदेश फैलाती है।

उन्होंने बताया कि उल्लेखनीय है कि इसी अवधि में रंगों का त्योहार होली भी मनाया जाएगा। ऐसे में विभिन्न समुदायों के पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, जो आपसी सद्भाव और पारस्परिक सम्मान का सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के अनुयायियों को एक-दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करते हुए संयम और सौहार्द बनाए रखना चाहिए, ताकि समाज में शांति और एकता की मिसाल कायम हो सके।

उन्होंने अंत में वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ ख़ान ने कहा कि रमजान का वास्तविक संदेश इंसानियत, सेवा और भाईचारे को बढ़ावा देना है। यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार लें, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है।

जिंदगी अनमोल है: आशा का दीप बुझने न दें

निराशा के विरुद्ध संवेदनशील समाज ही सबसे बड़ा संबल है

डॉ. विक्रम चौरसिया

तेज़ी से बदलते इस युग में जीवन मानो एक निरंतर दौड़ बन गया है। प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन और प्रतिष्ठा की होड़ में व्यक्ति स्वयं से ही दूर होता जा रहा है। आर्थिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएँ, राजनीतिक तनाव, जातिगत विभाजन और पर्यावरणीय संकट ये सब मिलकर मनुष्य के अंतर्मन पर ऐसा अदृश्य बोझ डाल रहे हैं, जिसे वह अक्सर अकेले ढोता है। परिणामस्वरूप निराशा गहराती है और कभी-कभी आत्महत्या जैसी अत्यंत पीड़ादायक घटनाओं का रूप ले लेती है। यह केवल किसी एक व्यक्ति की हार नहीं होती, बल्कि समाज की सामूहिक संवेदनहीनता का दर्पण भी होती है।

गांधी जी ने कहे थे कि पृथ्वी पर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, परंतु किसी एक के लालच के लिए नहीं। आज समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि संतोष, संवेदना और संतुलन की कमी है। हमने उपलब्धियों को सर्वोपरि मान लिया, पर आत्मिक शांति को पीछे छोड़ दिया।

किन्तु सत्य यह है कि जीवन स्वयं में एक अनुपम वरदान है। कोई भी दुःख अंतिम सत्य नहीं होता। समय का स्वभाव परिवर्तन है। जैसे रात्रि कितनी ही घनी क्यों न हो, प्रभात का आगमन निश्चित है; जैसे कृष्णपक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, वैसे ही निराशा के बाद आशा का उदय भी अवश्यंभावी है। संभव है, जिस क्षण व्यक्ति सब कुछ समाप्त मान बैठता है, वही क्षण परिवर्तन का द्वार भी बन जाए।

आज आवश्यकता केवल नीतियों और योजनाओं की नहीं, बल्कि मानवीयता की है। यदि ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, तो उसे किसी टूटे हुए मन को सहारा देने में लगाएँ। एक स्नेहपूर्ण संवाद, एक सहयोगी हाथ, एक विश्वास-भरी दृष्टि किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। भेदभाव चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक, राजनीतिक या जातिगत मनुष्य के आत्मसम्मान को आहत करता है। हमें ऐसी सामाजिक संरचना का निर्माण करना होगा, जहाँ हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और अपनापन मिले।

हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। यही सच्चे अर्थों में प्रगतिशील और सभ्य समाज की पहचान है जहाँ संवेदना हो, समान अवसर हो और मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो ।आइए, हम संकल्प लें हम जीवन को चुनेंगे।

हम निराशा के विरुद्ध खड़े होंगे ।हम स्वयं भी आशा का दीप जलाए रखेंगे और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएँगे।

क्योंकि हो सकता है, अगला ही पल नया सवेरा लेकर आए

और वही सवेरा किसी जीवन को फिर से मुस्कान दे जाए।

चिंतक/ आईएएस

14 मार्च 2026 को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत – अमरदीप सिंह बैंस

अमृतसर, 19 फरवरी (साहिल बेरी)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर द्वारा 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर श्री अमरदीप सिंह बैंस की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य अधिकतम योग्य मामलों के निपटारे हेतु प्रभावी समन्वय एवं सहयोग सुनिश्चित करना था।

श्री बैंस ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन Punjab State Legal Services Authority के कार्यकारी अध्यक्ष एवं Punjab and Haryana High Court के माननीय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन एवं गतिशील नेतृत्व में किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सत्र प्रभाग अमृतसर के प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति रोहित कपूर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमृतसर को लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर श्रीमती जतिंदर कौर के समर्पित प्रयासों एवं सतर्क पर्यवेक्षण से राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को और अधिक मजबूती मिली है।

श्री बैंस ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा त्वरित, सरल एवं निशुल्क तरीके से किया जाता है। आपसी सहमति के आधार पर दिए गए निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं, जिससे पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिलती है। लोक अदालतों के आयोजन से न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है तथा आपसी सौहार्दपूर्ण समाधान का वातावरण विकसित होता है।

उन्होंने बताया कि समझौता योग्य आपराधिक मामले, यातायात चालान, बैंक वसूली प्रकरण, बिजली बिल संबंधी मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण आदि मामलों का आसानी से निपटारा किया जा सकता है। आम जनता से अपील की गई है कि वे अपने लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर इसका पूर्ण लाभ उठाएं।

बैठक के दौरान बैंकों एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया तथा आपसी सहमति के माध्यम से अधिकतम मामलों का निपटारा कर लंबित मामलों की संख्या कम करने और वादियों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

कानपुर में छात्र की मौत के बाद पीएसआईटी कॉलेज में जमकर बवाल, लाठीचार्ज में कई छात्र घायल

सुनील बाजपेई

कानपुर। कल मंगलवार जेसीबी से टकराकर हुई छात्र की मौत के मामले में प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उत्तेजित छात्रों ने आज बुधवार को पनकी स्थित पीएसआईटी कॉलेज में बवाल के साथ जमकर तोड़फोड़ भी की। इस बीच पुलिस ने भी जमकर लाठीचार्ज किया ,जिसमें कई छात्र घायल भी हो गए। यहां हालातों पर मुश्किल से नियंत्रण के बाद तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया।

साथी छात्र की मौत से आक्रोशित हजारों छात्रों ने पहले कैंपस में शांति मार्च निकाला, जिसके बाद देखते ही देखते उनका प्रदर्शन उग्र हो गया। इस बीच गुस्साए छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने कैंपस के शीशे तोड़ दिए, गमले फेंक दिए और फर्नीचर को भी तहस नहस कर डाला।

जिसकी सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जब छात्र समझाने के बाद भी नहीं माने तो उसने छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया ,जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

छात्रों ने इस दौरान यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज परिसर में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। जिसकी वजह से ही रतनलाल नगर निवासी बीसीए अंतिम वर्ष के छात्र प्रखर सिंह असमय ही मौत का शिकार हो गया। छात्रों ने मांग उठाई है कि सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक, जब कक्षाएं संचालित होती हैं। उस दौरान किसी भी तरह का निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। इस हंगामे के दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और कई घंटे की संघर्ष के बादछात्रों को शांत करने में सफलता प्राप्त की लेकिनतनाव लगातार बरकरार है ,जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि तोड़फोड़ करने वाले छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके भी कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी असुरक्षा की स्थिति में पुलिस की मदद लें: अनिता मिंज

सुनील चिंचोलकर

नर्सिंग विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण, आत्मनिर्भरता का दिया संदेश

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में विश्वास सोशल वेलफेयर सोसाइटी एवं जतन कल्याण सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए प्रमाण-पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आजाक थाने में पदस्थ डीएसपी अनिता प्रभा मिंज उपस्थित रहीं। उनके साथ पुलिस रक्षा टीम की भावना अटलकर एवं शारदा भगत भी विशेष रूप से मौजूद थीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएसपी अनिता प्रभा मिंज ने विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा के साथ आत्मविश्वास और जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी प्रकार की असुरक्षा की स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।

अनिता मिंज ने बालिका एवं महिला सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि पुलिस विभाग महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसी क्रम में उन्होंने 'अभिव्यक्ति ऐप' की जानकारी देते हुए कहा कि यह ऐप महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सकती है।

इस अवसर पर विश्वास सोशल वेलफेयर सोसाइटी की सेक्रेटरी संध्या चंद्रसेन, सोनाक्षी, जतन कल्याण सेवा समिति की अध्यक्ष जानवी ओमकार बघेल, प्रकाश सहित संस्था के विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023

माता-पिता, मोबाइल पर बच्चे

विजय गर्ग

आज माता-पिता अपने व्यस्त और व्यस्त जीवन के कारण बच्चों से बातचीत करने के लिए कम समय निकालते हैं। अक्सर बच्चों को चुप रहने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दिया जाता है।

आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल फोन मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। जहां ये सुविधाएं और सूचनाओं का खजाना हैं, वहीं इनका पारिवारिक संबंधों और बच्चों के भविष्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे बड़ा प्रभाव माता-पिता और बच्चों के रिश्तों पर देखने को मिलता है।

मोबाइलः सुविधा या दूरी का कारण?

आज माता-पिता अपने व्यस्त और व्यस्त जीवन के कारण बच्चों से बातचीत करने के लिए कम समय निकालते हैं। अक्सर बच्चों को चुप रहने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दिया जाता है। शुरुआत में यह एक आसान समाधान लगता है, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत बन जाती है। बच्चा माता-पिता की गोद के स्थान पर स्क्रीन से जुड़ जाता है। परिणामस्वरूप भावनात्मक जुड़ाव कम हो जाता है।

बच्चों के विकास पर प्रभाव

मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता हैः

भाषा विकास में देरी

ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी

नींद की समस्या

आंखों और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ना

यदि बच्चे बाहर खेलने के बजाय स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो उनकी सामाजिक क्षमताएं भी कम हो जाती हैं।

माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है

बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। यदि माता-पिता स्वयं हर समय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखना कठिन हो जाता है।

माता-पिता के लिए कुछ आवश्यक कदमः

घर पर समय निर्धारित करें

भोजन करते समय स्क्रीन से दूर रहें

बच्चों के साथ दैनिक बातचीत करें

कहानियां सुनाएं और किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें

बाहर खेलने और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान दें

प्रौद्योगिकी का संतुलित उपयोग

मोबाइल पूरी तरह से गलत नहीं हैं। वे शिक्षा, सूचना और रचनात्मकता के लिए उपयोगी उपकरण हैं। लेकिन उपयोग की अवधि और सामग्री पर नियंत्रण अनिवार्य है।

परिणाम

बच्चों को प्यार, समय और मार्गदर्शन की जरूरत होती है, मोबाइल की नहीं। यदि माता-पिता अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हैं, तो वे न केवल प्रौद्योगिकी का सही उपयोग करना सीखेंगे, बल्कि जीवन के वास्तविक मूल्यों को भी समझ पाएंगे। मोबाइल एक साधन है — लेकिन पारिवारिक संबंध जीवन की असली ताकत हैं।

अंकों में सिमटी प्रतिभा की कसौटी

डॉ विजय गर्ग

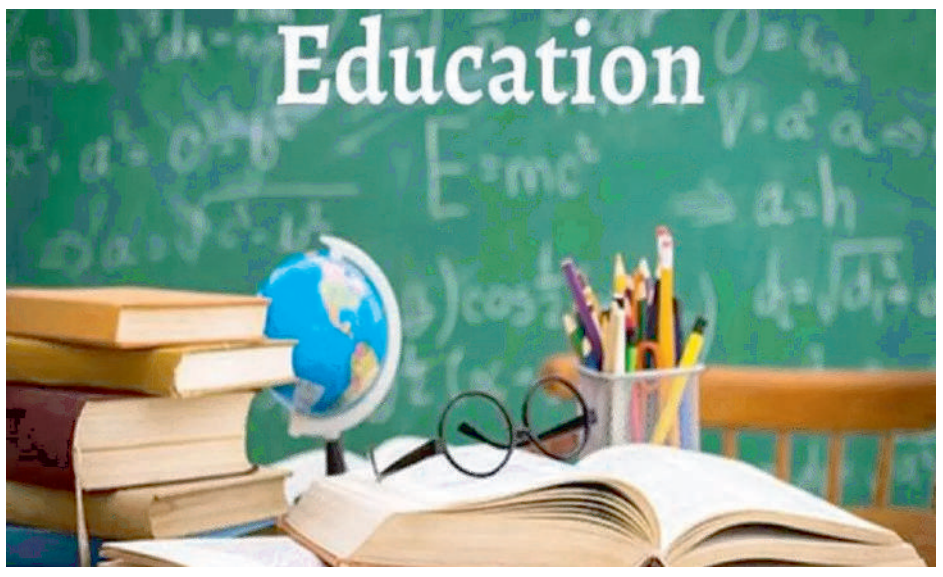

आज का शिक्षा तंत्र एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ विद्यार्थियों की प्रतिभा को अक्सर केवल अंकों की तराजू पर तौला जाता है। परीक्षा परिणाम आते ही बच्चों को "प्रतिभाशाली" या "कमज़ोर" घोषित कर दिया जाता है। कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परिणाम—चाहे वह सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड—समाज में प्रतिष्ठा और भविष्य की दिशा तय करने वाले मान लिए जाते हैं। पर क्या वास्तव में कुछ अंकों से किसी की संपूर्ण क्षमता का आकलन संभव है?

अंकः मूल्यांकन या सीमांकन?

अंक मूलतः सीखने की प्रगति मापने का साधन हैं, लेकिन जब यही साधन लक्ष्य बन जाता है, तो शिक्षा का उद्देश्य सीमित हो जाता है। विद्यार्थी रचनात्मकता, जिज्ञासा और समझ की जगह रटने और अंक प्राप्त करने की दौड़ में लग जाते हैं। परिणामस्वरूप ज्ञान का विस्तार नहीं, बल्कि परीक्षा-केंद्रित सोच विकसित होती है।

प्रतिभा का व्यापक अर्थ

प्रतिभा केवल गणित या विज्ञान में उच्च अंक लाने तक सीमित नहीं है। कला, संगीत, खेल, लेखन, नेतृत्व, संवेदनशीलता, समस्या-समाधान क्षमता—ये सभी प्रतिभा के विविध आयाम हैं। इतिहास गवाह है कि कई महान व्यक्तित्व पारंपरिक परीक्षा प्रणाली में औसत रहे, फिर भी उन्होंने समाज को नई दिशा दी। इसका अर्थ यह नहीं कि पढ़ाई महत्वहीन है, बल्कि यह कि प्रतिभा बहुआयामी होती है।

मानसिक दबाव और सामाजिक तुलना

अंकों की होड़ ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। तुलना, अपेक्षाएँ और असफलता का भय आत्मविश्वास को कम करते हैं। कई विद्यार्थी अपनी रुचियों को त्यागकर केवल "सुरक्षित" करियर विकल्प चुनते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी मौलिकता और आनंद खो जाता है।

शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य

शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करना है। समालोचनात्मक सोच, नैतिक मूल्यों की समझ, संवाद कौशल, और सामाजिक संवेदनशीलता—ये गुण अंक-पत्र में नहीं दिखते, पर जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं।

समाधान की दिशा

1. समग्र मूल्यांकन प्रणाली – प्रोजेक्ट, प्रस्तुति, व्यवहारिक कार्य और रचनात्मक अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाए।
2. अभिभावकों की सोच में बदलाव – बच्चों की तुलना करने की बजाय उनकी रुचियों को समझा जाए।
3. विद्यालयों में परामर्श सेवा – विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन और करियर मार्गदर्शन मिले।
4. कौशल आधारित शिक्षा – पाठ्यक्रम में जीवन-कौशल और व्यावहारिक ज्ञान को शामिल किया जाए।
5. रुचि-आधारित प्रोत्साहन – खेल, कला और साहित्य को भी उतना ही महत्व मिले जितना अकादमिक विषयों को।

निष्कर्ष

अंक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर वे अंतिम सत्य नहीं हैं। किसी बच्चे की प्रतिभा को केवल प्रतिशत में बाँध देना उसके संभावनाओं के आकाश को सीमित करना है। आवश्यकता है कि हम शिक्षा को प्रतिस्पर्धा की संकीर्ण दृष्टि से निकालकर विकास की व्यापक दृष्टि से देखें।

जब हम अंकों से आगे बढ़कर प्रतिभा के विविध रंगों को पहचानेंगे, तभी शिक्षा वास्तव में सशक्त और सार्थक बन पाएगी।

बहुत शांत

डॉ. विजय गर्ग

डिजिटल संसाधनों ने छात्रवृत्ति को निर्विवाद रूप से समृद्ध बनाया है और जांच के नए रास्ते खोले हैं। लेकिन वे मानवीय मुलाकात की जगह नहीं ले सकते जो शिक्षण और सीखने के मूल में है कक्षा सहभागिता में गिरावट भारत

कक्षाएं शांत होती जा रही हैं। विचार के साथ आने वाली चिंतनशील शांति में नहीं, बल्कि एक गहरी, स्थायी स्थिरता में जो भारतीय विश्वविद्यालयों में परिचित हो गई है। शैक्षणिक जीवन के एक करीबी पर्यवेक्षक के रूप में, मैंने देखा है कि यह शांति हमारे विश्वविद्यालयों में लगातार फैल रही है, तथा सीखने की प्रक्रिया को बदल रही है। उपस्थिति पैटर्न परिवर्तन का केवल एक हिस्सा ही प्रकट करता है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि अब छात्रों का शिक्षाविदों के साथ रिश्ता बदल गया है। कक्षा, जो कभी बौद्धिक जीवन का निर्विवाद केंद्र हुआ करती थी, धीरे-धीरे अपना आकर्षण खो रही है। छात्र कम बार आते हैं, कम समय तक रुकते हैं, तथा दूर से सीखने में तेजी से संलग्न होते हैं। विश्वविद्यालय को एक साझा स्थान के रूप में प्रस्तुत करने का विचार, जिसमें उपस्थिति और भागीदारी की आवश्यकता होती है, कमजोर होता जा रहा है।

पोर्टल की ओर झुक गई हैं। अब ज्ञान का सामना ऑनलाइन संसाधनों, सारांशों और खोज योग्य पाठों के माध्यम से किया जाता है। हालांकि इससे पहुंच बढ़ गई है, लेकिन ध्यान भी कम हो गया है। पढ़ना इमर्सिव के बजाय कुशल हो गया है, तथा निरंतर पढ़ने के बजाय चयनात्मक हो गया है। किसी कठिन तर्क के साथ बैठने, पुनः पढ़ने, चिंतन करने तथा किसी पाठ से चुपचाप असहमत होने के लिए आवश्यक धैर्य कम होता जा रहा है।

सबसे अधिक परेशान करने वाली क्षति द्वंद्वात्मक सहभागिता में गिरावट है। कक्षा का उद्देश्य कभी भी मौन रहना नहीं था। इसमें ऐसे प्रश्न शामिल थे जो व्याख्यान में बाधा डालते थे, बहसें जो निष्कर्षों को अनिर्णीत कर देती थीं, तथा बातचीत जो पाठ्यक्रम से परे होती थी। आज, कई छात्र बोलने में संकोच करते हैं, चुनौती देते हैं, या गलत होने का जोखिम उठाते हैं। इस प्रकार मौन असहमति का स्थान ले लेता है। शिक्षण में एकतरफा प्रदर्शन और सीखने का निष्क्रिय स्वागत कार्य होने का जोखिम है। महामारी के बाद की स्थिति में विश्वविद्यालय में कई स्थानों पर कक्षाएं अप्रत्याशित रूप से खाली हो गई हैं। उपस्थिति को अब शिक्षा का अभिन्न अंग

चर्चा को बनाए रखने वाली साझा ऊर्जा कमजोर हो जाती है। विचार उस तात्कालिकता को खो देते हैं जो वास्तविक समय में, उन साथियों की संगति में परीक्षण किए जाने से आती है जो प्रश्न पूछते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं।

यहां जो दांव पर लगा है वह अनुशासन या अनुपालन नहीं, बल्कि मूल्य है। विश्वविद्यालय लंबे समय से एक ऐसा स्थान रहा है जहां प्रश्नों का उतना ही महत्व था जितना कि उत्तरों का। इसने छात्रों को जोर से सोचने, ध्यानपूर्वक सुनने और असहमति के माध्यम से अपनी स्थिति को परिष्कृत करने का प्रशिक्षण दिया। ऐसी आदतें बार-बार मिलने, साझा ध्यान देने और उपस्थित होने के अनुशासन के माध्यम से विकसित होती हैं।

शांत कक्षाएं इस बात को लेकर बड़ी चिंता पैदा करती हैं कि अब शिक्षा का अनुभव किस प्रकार किया जा रहा है। सीखना तेजी से एक निजी गतिविधि की तरह होता जा रहा है, जो व्यक्तिगत रूप से और अक्सर दूर से पूरा किया जाता है। फिर भी बौद्धिक विकास हमेशा सामूहिक आदान-प्रदान पर निर्भर रहा है। विचार तब गहरा होता है जब उसे दूसरों की उपस्थिति में बोला जाता है, विवादित किया जाता है और संशोधित किया जाता है। एकांतवास दक्षता को बढ़ा सकता है, लेकिन यह शायद ही कभी बुद्धि का पोषण करता है।

यह प्रतिबिंब प्रौद्योगिकी या परिवर्तन के विरुद्ध कोई तर्क नहीं है। डिजिटल संसाधनों ने छात्रवृत्ति को निर्विवाद रूप से समृद्ध बनाया है और जांच के नए रास्ते खोले हैं। लेकिन वे मानवीय मुलाकात की जगह नहीं ले सकते जो शिक्षण और सीखने के मूल में है। कक्षा उन कुछ स्थानों में से एक है जहां ध्यान साझा किया जाता है, जहां विचार धीरे-धीरे सामने आते हैं, और जहां सोच एक दृश्यमान, सांप्रदायिक कार्य बन जाती है जिसे सुनने के साथ-साथ बोलने से भी आकार मिलता है।

घंटी अभी भी बजती है और कमरे अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे पुनः प्रश्नों, वार्तालापों और एक साथ सोचने की शांत तीव्रता से भर जाएंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उपस्थिति का पुनर्मूल्यांकन कैसे करते हैं। अब जो सन्नाटा छा गया है वह केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। यह एक ऐसा विराम है जो चिंतन को आमंत्रित करता है और शायद कक्षा के जीवन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी प्रेरित करता है।

सेवानिवृत्त प्रधान शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

दिल्ली में अवैध वाहनों पर सख्तीः पंजीकृत स्क्रैप डीलरों की कमी बाधा

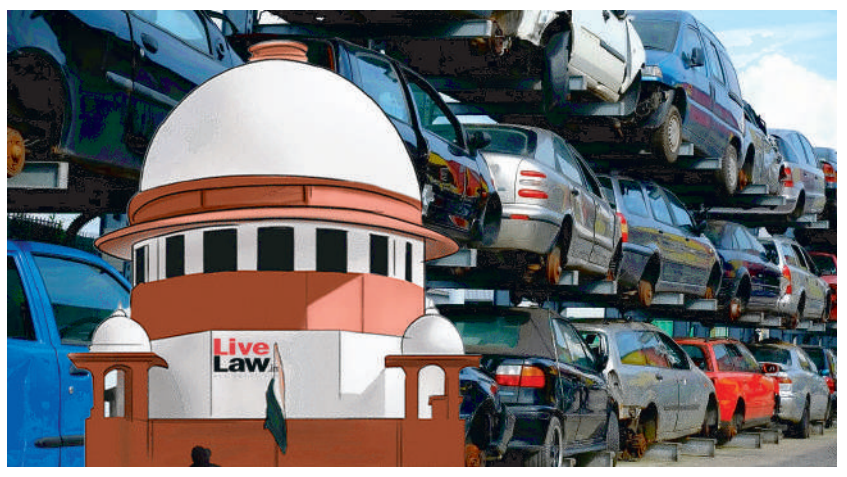

संजय कुमार बाठला

दिल्ली परिवहन विभाग यूरो 3 और नीचे के मानकों के वाहनों, अवैध और बिना पंजीकरण वाले वाहनों, खासकर ई-रिक्शों पर कार्रवाई तेज करने का फैसला कर रहा है, लेकिन सीमित पंजीकृत स्क्रैप डीलरों के कारण प्रक्रिया पटरी से उतर रही है।

सड़क परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के बावजूद दिल्ली ग्रे मार्केट का बोलबाला जारी है।

पंजीकृत डीलरों की वास्तविकता

दिल्ली में 3 डीलर पंजीकृत हैं, लेकिन मात्र एक को परिचालन अनुमति मिली हुई है। यह एक डीलर यूरो 3 और पुराने जब्त वाहनों को स्क्रैप कैसे करेगा, जब ग्रे मार्केट 300% अधिक कीमत देकर वाहन खींच लेता है?

पूर्व में बाहरी राज्यों के डीलर जिन्हें परिवहन आयुक्त ने दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम और यातायात पुलिस के द्वारा जब्त वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सोपा वह बिना स्क्रैप मूल्य दिए ही दिल्ली से वाहन ले भागे।

ग्रे मार्केट का घोटाला परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बाहरी डीलरों को बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाए वाहन स्क्रैप करने के लिए सौंपे पर वीडियो वायरल हुए जहां उन वाहन स्क्रैप डीलरो द्वारा स्क्रैप के लिए प्राप्त वाहन और ई-रिक्शे बेचे गए।

विभाग ने नोटिस तो जारी किए, लेकिन सख्त और न्यायसंगत कार्रवाई नहीं की, नुकसान जनता का। परिवहन विभाग के आला अधिकारी की आंखें ना खुलने से दिल्ली की जनता लूटी गई।

न्यायिक आदेशों का क्रियान्वयन

सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और उपराज्यपाल के राजपत्रित निर्देशों के बावजूद सही नीति अमल नहीं हो रहा।

फरवरी 2026 में BS-III वाहनों पर बिना नोटिस जब्ती का ऐलान, लेकिन स्क्रैपिंग पारदर्शी नहीं।

दिल्ली परिवहन विभाग से अपीलः सुधार के 5 बिंदु

1. बाहरी डीलर सीमितः दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो को केवल ई-रिक्शा संग्रह केंद्र की दिल्ली में अनुमति दें।
2. बैटरी स्क्रैपिंग एग्रीमेंटः ई रिक्शा में प्रदूषण से जुड़ी मात्र बैटरी होती हैं अतः संग्रह केंद्र की अनुमति जारी करने से पहले वाहन स्क्रैप डीलर से बैटरी का स्क्रैप करने के प्रति भारत सरकार और प्रदूषण विभाग द्वारा पंजीकृत बैटरी स्क्रैपर से पूर्व अनुबंध अनिवार्य करे।
3. लाइव सबूत अपलोडः ई रिक्शा को मशीन द्वारा स्क्रैप कर बंडलिंग करने और बैटरी हस्तांतरण के वीडियो वाहन पोर्टल पर तत्काल अपलोड अनिवार्य करे।
4. देरी पर सजाः समय पर स्क्रैप मूल्य ना जमा करने और वाहन के स्क्रैप और बैटरी के बैटरी स्क्रैप डीलर को हस्तांतरण के वीडियो वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर संग्रह केंद्र रद्द करे और जमा बैंक गारंटी जब्त के आदेश जारी करे।
5. दिल्ली में जरूरत अनुसार वाहन स्क्रैप डीलर पंजीकृत करने के लिए रिआयती दरों पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध की घोषणा करवाए जहां वाहन स्क्रैप करने के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके।

*** वर्तमान स्थिति**

1. दिल्ली पंजीकृत डीलरः- 3 (1 परिचालनरत)
2. क्षमता सीमितः- 70,000/वर्ष नई यूनिट
3. ग्रे मार्केट लाभः- 300% अधिक कीमत

परिवहन विभाग द्वारा यह कदम अपनाने से अवैध वाहनों पर सख्ती संभव होगी, लूट रुकेगी। सही नीति-क्रियान्वयन ही दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएगा।

विदेश भेजने की होड़ और बदलती मानसिकता

(क्या सचमुच भारत में अवसर कम हैं या हम एक भ्रम में जी रहे हैं?)

- डॉ. प्रियंका सौरभ

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में एक नई प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है—बेटे-बेटियों को विदेश भेजने की होड़। कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, तो कभी बेहतर जीवन के सपने के साथ। कई परिवारों में यह एक उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया जाता है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। किसी का कनाडा जाना, किसी का ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जाना—यह सब मानो सफलता की पहचान बन गया है। धीरे-धीरे यह धारणा बनती जा रही है कि यदि भविष्य बनाना है तो विदेश जाना ही पड़ेगा।

लेकिन यह सवाल गंभीरता से पूछने की जरूरत है कि क्या वास्तव में भारत में अवसरों की कमी है। क्या इस देश में प्रतिभा के लिए जगह नहीं बची? या फिर हम स्वयं अपने देश की संभावनाओं को कम आंकने लगे हैं?

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तकनीक, उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में लगातार नए अवसर पैदा हो रहे हैं। दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भारत में निवेश कर रही हैं। लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। छोटे शहरों और कस्बों से निकलकर युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। ऐसे में यह मान लेना कि भविष्य केवल विदेश में ही है, एक अधूरी और जल्दबाजी वाली सोच लगती है।

विदेश जाने की एक बड़ी वजह शिक्षा भी है। कई छात्र यह सोचकर विदेश जाते हैं कि वहाँ की पढ़ाई बेहतर है या वहाँ अवसर अधिक हैं। कुछ मामलों में यह सही भी हो सकता है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि कई छात्र केवल इसलिए विदेश चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भारत में मनचाहे कॉलेज या कोर्स में प्रवेश नहीं मिल पाता। प्रतियोगिता कठिन है, सीटें सीमित हैं, और हर किसी को प्रतिष्ठित संस्थानों में जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में विदेश जाना एक विकल्प बन जाता है। लेकिन इस विकल्प को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बना देना चिंताजनक है।

आज स्थिति यह हो गई है कि कई जगहों पर माता-पिता अपने बच्चों को विदेश भेजने को लेकर एक तरह का दबाव महसूस करते हैं। रिश्तेदारों, परिचितों और समाज के बीच यह दिखाने की कोशिश होती है कि उनका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या काम कर रहा है। कई बार परिवार अपनी आर्थिक स्थिति से ज्यादा खर्च उठाकर भी बच्चों को विदेश भेज देते हैं। शिक्षा ऋण, कर्ज और आर्थिक बोझ के बावजूद यह निर्णय केवल इसलिए लिया जाता है क्योंकि समाज में इसे प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया है।

सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ाया है। इंटरनेट पर विदेश में रहने वाले युवाओं की चमकदार तस्वीरें दिखाई देती हैं—खूबसूरत शहर, शानदार जीवनशैली, घूमना-फिरना, नए अनुभव। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे का संघर्ष अक्सर दिखाई नहीं देता। विदेश में जीवन आसान नहीं होता। वहाँ भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, अकेलेपन का सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिनकी कल्पना भारत में रहते हुए नहीं की जाती। लेकिन यह सच्चाई अक्सर तस्वीरों और वीडियो के पीछे छिप जाती है।

समस्या विदेश जाने में नहीं है। समस्या उस मानसिकता में है जिसमें विदेश को सफलता का पर्याय बना दिया गया है। दुनिया को देखने, नई शिक्षा और अनुभव प्राप्त करने के लिए विदेश जाना एक अच्छा अवसर हो सकता है। कई भारतीय छात्र विदेश में उच्च शिक्षा लेकर नई तकनीक और ज्ञान प्राप्त करते हैं और बाद में देश के विकास में योगदान भी देते हैं। लेकिन जब यह निर्णय समझदारी के बजाय भीड़ का हिस्सा बनकर लिया जाता है, तब कई बार परिणाम निराशाजनक भी हो सकते हैं।

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वर्ग है। आज का युवा पहले से अधिक जागरूक, शिक्षित और तकनीक से जुड़ा हुआ है। स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। छोटे शहरों के युवा भी बड़े सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। डिजिटल युग में अवसरों की सीमाएँ पहले जैसी नहीं रहीं। आज भारत में बैठकर भी दुनिया के साथ काम किया जा सकता है।

जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को सक्षम बनाएं। उन्हें ऐसी शिक्षा दें जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, उनमें कौशल विकसित करे और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दे। अगर युवा योग्य होंगे तो उन्हें अवसर कहीं भी मिल सकते हैं—भारत में भी और विदेश में भी। लेकिन यदि केवल स्थान बदलने से सफलता की उम्मीद की जाएगी, तो यह सोच लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी।

समाज को भी अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। विदेश जाना न तो असंभव उपलब्धि है और न ही सफलता का एकमात्र रास्ता। उसी तरह भारत में रहना असफलता नहीं है। हमारे देश ने हर क्षेत्र में प्रतिभाएँ दी हैं—विज्ञान, साहित्य, खेल, राजनीति, उद्योग और तकनीक में। दुनिया के कई बड़े मंचों पर भारतीय अपनी पहचान बना चुके हैं। यह सब यहीं से शुरू हुआ है।

एक और चिंता का विषय प्रतिभा का देश से बाहर जाना भी है। कई वर्षों तक "ब्रेन ड्रेन" की चर्चा होती रही है। हालांकि अब स्थिति बदल रही है और कई लोग विदेश से अनुभव लेकर वापस भी लौट रहे हैं। फिर भी यह जरूरी है कि देश का युवा अपने देश की संभावनाओं पर विश्वास बनाए रखे। अगर योग्य लोग ही देश से दूर चले जाएंगे, तो विकास की गति भी प्रभावित हो सकती है।

माता-पिता, शिक्षक और समाज—तीनों की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण है। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि सफलता किसी देश की मोहताज नहीं होती। असली पहचान मेहनत, ज्ञान और चरित्र से बनती है। विदेश जाना यदि शिक्षा और अनुभव के लिए है तो यह अच्छी बात है, लेकिन केवल दिखावे या सामाजिक दबाव के कारण लिया गया निर्णय कई बार भारी पड़ सकता है।

आज जरूरत है संतुलित सोच की। हमें अपने युवाओं को यह बताना होगा कि दुनिया खुली है, अवसर हर जगह हैं, लेकिन अपने देश की ताकत और संभावनाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि संभावनाओं की एक विशाल भूमि है। यहाँ चुनौतियाँ भी हैं और अवसर भी। फर्क केवल दृष्टिकोण का है।

अगर हम अपने बच्चों को योग्य, आत्मविश्वासी और मेहनती बनाएँगे, तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता—चाहे वे भारत में रहें या विदेश जाएँ। लेकिन यदि हम केवल भीड़ का हिस्सा बनकर निर्णय लेते रहेंगे, तो शायद हम अपने ही आत्मविश्वास को कमजोर करते रहेंगे।

एनसीईआरटी कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक और न्यायपालिका की आति सख़्ती- जवाबदेही, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रश्न-अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 -एक समग्र विश्लेषण

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भारत में दशकों से मलाईदार मंत्रालय और मलाईदार पद मलाईदार एरिया जैसे शब्द राजनीतिक और प्रशासनिक विमर्श का हिस्सा रहे हैं। संसद से लेकर विधानसभा विधान परिषद और पंचायत समिति के चुनाव तक में हमेशा ऐसा सुनने में मिलता है जिससे आम जनमानस में यह धारणा गहरी है कि सरकारी ठेकों से लेकर राजस्व कार्यालयों तक, भ्रष्टाचार एक संरचनात्मक समस्या के रूप में मौजूद है। चुनावी मंचों पर 40-50 प्रतिशत कमीशन की चर्चाएँ, पटवारी से लेकर उच्च अधिकारियों तक चाय-पानी के बिना काम न होने की शिकायतें, ये सब सार्वजनिक संवाद का हिस्सा रहे हैं। ऐसे वातावरण में जब कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार शीर्षक से अध्याय जोड़ा गया, तो बहस का स्वर अचानक तीखा हो गया। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि अब प्रश्न यह उठाता है कि यदि भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक -प्रशासनिक समस्या है, तो पाठ्यपुस्तक में केवल न्यायपालिका का ही उल्लेख क्यों? क्या यह चयनात्मक प्रस्तुति है ?क्या यह संस्थागत संतुलन के विरुद्ध है ?और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी जवाबदेही किसकी है ? इस अध्याय पर आपत्ति जताते हुए वरिष्ठ नेता कपिल सिबल ने सार्वजनिक रूप से प्रश्न उठाया कि यदि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया जा सकता है, तो फिर राजनेताओं, मंत्रियों, लोकसेवकों और जांच एजेंसियों का नाम क्यों नहीं? उनका तर्क यह था कि भ्रष्टाचार किसी एक संस्था तक सीमित नहीं है; यह एक व्यापक प्रशासनिक- सामाजिक समस्या है। इसलिए यदि शैक्षणिक ईमानदारी के नाम पर किसी एक स्तंभ का उल्लेख हो, तो अन्य स्तंभों का भी समान रूप से संदर्भ होना चाहिए। इस कथन ने बहस को संस्थागत मर्यादा बनाम पारदर्शिता के प्रश्न में बदल दिया। क्या बच्चों को संस्थागत कमियों के बारे में बताना पारदर्शिता है या संस्थागत अविश्वास का बीजारोपण ?मामले ने तब गंभीर रूप लिया जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतःसंज्ञान लेकर सुनवाई प्रारंभ की ।प्रधानन्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे अत्यंत गंभीर माना और कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का संवैधानिक स्तंभ है; यदि पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से यह संदेश जाए कि यह स्तंभ ही संदिग्ध है, तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। न्यायालय ने एनसीईआरटी निदेशक और शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा स्पष्ट किया कि केवल माफी पर्याप्त नहीं होगी; जवाबदेही तय करनी होगी। न्यायालय की टिप्पणी क़ियह न्यायपालिका पर पहली गोली चलाने जैसा है, संकेत देती है कि अदालत ने इसे संस्थागत गरिमा पर प्रत्यक्ष प्रहार के रूप में देखा। न्यायालय ने यह भी प्रश्न उठाया कि जब पुस्तक बाजार और डिजिटल मंचों पर उपलब्ध है, तो बाद में उसे वापस लेना कितनी प्रभावी कार्यवाही होगी। डिजिटल युग में सामग्री एक बार प्रसारित हो जाने के बाद उसे पूर्णतःहटाना लगभग असंभव होता है ।इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि हार्ड कॉपी और डिजिटल दोनों स्वरूपों को तत्काल हटाया जाए तथा समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

साथियों बात अगर हम शैक्षणिक प्रक्रिया और निर्णय की संरचना इसको समझने की करें तो, एनसीईआरटी की आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार पाठ्यपुस्तक समिति के सदस्य प्रस्तावों की समीक्षा करते हैं, चर्चा करते हैं, और अंततः अंतिम स्वीकृति निदेशक के स्तर पर होती है। समिति सुझाव देती है, पर अंतिम निर्णय निदेशक के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या इस अध्याय को शामिल करते समय पर्याप्त विमर्श हुआ क्या कानूनी सलाह ली गई? क्या सामग्री की भाषा और प्रस्तुति संतुलित थी? यदि नहीं, तो यह संस्थागत प्रक्रिया में किस स्तर की चूक है एनसीईआरटी ने बाद में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करता है और यह सामग्री अनजाने में हुई गलती थी। उसने अध्याय को पुनर्लेखन और हटाने का निर्णय भी घोषित किया। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल खेद प्रकट करना पर्याप्त नहीं; जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

साथियों बात अगर हम किशोर मनोविज्ञान और संस्थागत विश्वास इसको समझने की करें तो यह बहस केवल संवैधानिक या राजनीतिक नहीं है; इसका मनोवैज्ञानिक आयाम भी गहरा है ।कक्षा 8 के विद्यार्थी प्रायः 13-14 वर्ष की आयु के होते हैं, एक ऐसी अवस्था जहाँ बौद्धिक जिज्ञासा प्रबल होती है, परंतु विश्लेषणात्मक संतुलन अभी विकसित हो रहा होता है। डिजिटल युग में सूचनाओं की बाढ़, सोशल मीडिया की त्वरित प्रतिक्रियाएँ और प्रतिस्पर्धात्मक दबाव उनके मानसिक संसार को प्रभावित करते हैं। यदि उन्हें बिना संदर्भ, बिना संतुलित विवेचन के यह बताया जाए कि न्यायपालिका भ्रष्ट है या वहां पेंडिंग केसों की संख्या बहुत अधिक है, तो यह संदेश संस्थागत अविश्वास के रूप में ग्रहण हो सकता है ।हाल ही में दिल्ली के तिलक नगर में नाबालिगों द्वारा एक किशोर की हत्या की घटना ने समाज को झकझोर दिया। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों में भी किशोर अपराधों में वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मत है कि हिंसक डिजिटल सामग्री, संवाद की कमी और भावनात्मक असंतुलन इसके कारण हैं। ऐसे वातावरण में यदि शैक्षणिक सामग्री संस्थाओं के प्रति अविश्वास को पुष्ट करे, तो यह सामाजिक संरचना पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। न्यायपालिका, जो अंतिम न्याय का प्रतीक है, यदि छात्रों के मन में संदिग्ध बने, तो लोकतांत्रिक आस्था कमजोर हो सकती है।

साथियों बात अगर हम पारदर्शिता बनाम संस्थागत गरिमा इसको समझने की करें तो, यहाँ मूल प्रश्न है, क्या छात्रों को संस्थागत कमियों के बारे में पढ़ाना गलत है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिक शिक्षा में संस्थागत आलोचना का स्थान होता है ।अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में पाठ्यक्रम में न्यायिक त्रुटियों, ऐतिहासिक गलत निर्णयों और सुधार आंदोलनों का उल्लेख होता है। परंतु वहाँ प्रस्तुति संतुलित होती है, समस्या के साथ सुधार की प्रक्रिया, जवाबदेही की व्यवस्था और संस्थागत आत्म-सुधार की क्षमता को भी रेखांकित किया जाता है। यदि किसी अध्याय में केवल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार शीर्षक हो और संदर्भ, उदाहरण सुधारात्मक तंत्र, न्यायिक सक्रियता, पारदर्शिता उपायों का उल्लेख न हो, तो यह एकतरफा चित्र प्रस्तुत कर सकता है। यही वह बिंदु है जहाँ आलोचना और संस्थागत गरिमा का संतुलन आवश्यक है।

साथियों बात अगर हम जवाबदेही का दायरा इसको समझने की करें, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया कि जिम्मेदारी तय होगी ।प्रश्न यह है कि क्या यह केवल संपादकीय त्रुटि है या नीति-स्तर का निर्णय? यदि समिति ने सुझाव दिया और निदेशक ने स्वीकृति दी, तो क्या मंत्रालय स्तर पर भी समीक्षा हुई? क्या कानूनी परामर्श लिया गया ?क्या विशेषज्ञों, शिक्षाशास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों संवैधानिक विद्वानों, से राय ली गई ?लोकतंत्र में जवाबदेही बहुस्तरीय होती है। यदि पाठ्यपुस्तक में त्रुटि है, तो उसे सुधारना आवश्यक है; परंतु यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी संवेदनशील विषयवस्तु संतुलित, तथ्यात्मक और संदर्भयुक्त हो न्यायपालिका की प्रतिक्रिया और संस्थागत संदेश प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी कि हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका अपनी संस्थागत साख को लेकर सजग है। अदालत ने अवमानना की संभावना भी जताई। यह संदेश केवल एनसीईआरटी को नहीं, बल्कि व्यापक शैक्षणिक तंत्र को भी है कि संवैधानिक संस्थाओं के चित्रण में सावधानी अनिवार्य है।

साथियों बात अगर हम डिजिटल युग की चुनौती को समझने की करें तो, आज सामग्री केवल कागज पर नहीं रहती; वह सोशल मीडिया, पीडीएफ, ब्लॉग और वीडियो के माध्यम से अनंत रूपों में फैलती है। ऐसे में किसी अध्याय को "वापस लेना" प्रतीकात्मक हो सकता है, पर पूर्ण नियंत्रण असंभव है ।अतः समाधान केवल हटाने में नहीं, बल्कि सही संदर्भ और संतुलन प्रदान करने में है ।आगे का मार्ग इस विवाद से तीन प्रमुख सबक उभरते हैं। पहला, शैक्षणिक सामग्री में संवैधानिक संस्थाओं का चित्रण संतुलित, तथ्यपरक और सुधार- उन्मुख होना चाहिए। दूसरा, किशोर मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर भाषा और प्रस्तुति तय होनी चाहिए। तीसरा, जवाबदेही स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए, चाहे वह समिति स्तर पर हो, निदेशक स्तर पर या मंत्रालय स्तर पर ।भ्रष्टाचार पर विमर्श आवश्यक है; यह लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का संकेत है। परंतु विमर्श का स्वर ऐसा हो जो सुधार की दिशा दिखाए, न कि अविश्वास की दीवार खड़ी करे। यदि छात्रों को यह सिखाया जाए कि न्यायपालिका में चुनौतियाँ रही हैं, परंतु सुधार के तंत्र, पारदर्शिता उपाय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी है, तो यह संतुलित शिक्षा होगी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अध्याय ने एक व्यापक राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया है जवाबदेही, संस्थागत गरिमा, किशोर मनोविज्ञान और डिजिटल युग की चुनौतियों पर। सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान यह दर्शाता है कि संवैधानिक संस्थाएँ अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सजग हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ यह संकेत देती हैं कि भ्रष्टाचार का प्रश्न बहु- आयामी है। अंततः यह प्रकरण केवल एक अध्याय का नहीं, बल्कि उस संतुलन का है जो लोकतंत्र में आलोचना और सम्मान के बीच होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य प्रश्न पूछना सिखाना है, पर साथ ही संस्थागत विश्वास और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करना भी है। यदि इस विवाद से भविष्य में अधिक परिपक्व, संतुलित और उत्तरदायी शैक्षणिक नीति विकसित होती है, तो यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक परिणाम

सुप्रीम कोर्ट का अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश

राजेश कुमार पासी

हल्द्वानी में अतिक्रमण का मामला बहुत जटिल है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जैसा स्पष्ट रुख अपनाया है, उससे पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश गया है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण देश की बहुत बड़ी समस्या है लेकिन अदालतों के कारण इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वास्तव में जब भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की जाती है तो अदालतें इस पर रोक लगा देती हैं। ज्यादातर मामलों में यही दलील दी जाती है कि वर्षों तक रहने वाले लोगों को उजाड़ना मानवीय दृष्टि से सही नहीं है।

अतिक्रमणकारियों को अदालतों, राजनीतिक दलों और एनजीओ का साथ मिल जाता है, इसलिए उनका हौसला बढ़ा हुआ है। देखा जाए तो पूरे देश में लाखो एकड़ सरकारी भूमि अतिक्रमण का शिकार है। विशेष रूप से रेल की पटरियों और सड़कों के आसपास की खाली जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है। समस्या यह है कि जब सरकारी जमीन पर कब्जा शुरू होता है तो सरकारी विभाग आंख बंद करके बैठे रहते हैं। जब धीरे-धीरे वहां बसावट हो जाती है तो वोट के लालच में राजनीतिक दल वहां सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं। ज्यादातर मामलों में सत्ताधारी दल के नेता इन लोगों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं और इनका संरक्षण करते हैं। अगर संबंधित विभाग अपनी जमीन खाली भी करवाना चाहे तो ये नेता अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मामले को लटका देते हैं। अगर विभाग अदालत चला जाए तो वहां मामला वर्षों तक लटका रहता है।

अतिक्रमणकारी अदालत में दलील देते हैं कि वो गरीब लोग हैं. अगर उन्हें हटाया जाता है तो वो सड़क पर आ जाएंगे, इसलिए उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाए। कितनी अजीब बात है कि ये लोग पहले जबरन कब्जा करके वर्षों तक सरकारी जमीन का इस्तेमाल करते हैं और जब उन्हें हटाया जाता है तो उन्हें मुआवजा और पुनर्वास भी चाहिए। देखा जाए तो वर्षों तक सरकारी जमीन का इस्तेमाल करने की एवज में इनसे किराया वसूला जाना चाहिए। दूसरी बात , जो अफसर और नेता अतिक्रमण के लिये जिम्मेदार होते हैं, उनसे राजस्व हानि की भरपाई की जानी चाहिए। सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस सवाल का जवाब हर अतिक्रमण के लिए पूछा जाना चाहिए कि जब कब्जा हो रहा था तो उसे उस समय ही क्यों नहीं रोक दिया गया।

हल्द्वानी का अतिक्रमण भी अफसरों और नेताओं की मिलीभगत का नमूना है। रेलवे की 31 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा करके 5000 परिवार वहां बस गए हैं। कब्जा की गई जमीन पर लगभग 50000 की आबादी रहती है। उनका दावा है कि वो लोग यहां 45-50 साल से रह रहे हैं। ये सवाल तो उठता है कि 31 हेक्टेयर जमीन पर जब कब्जा हो रहा था तो रेलवे कहां सोया हुआ था। ये कब्जा एक-दो दिन में नहीं हुआ होगा. धीरे-धीरे लोगों ने वहां कच्चे मकान बनाये होंगे और फिर लोगों का आना बढ़ता गया होगा। कुछ वर्षों बाद लोगों ने वहां पक्के मकान बना लिए होंगे। आज वहां बड़े-बड़े भवन खड़े हुए हैं। वहां सिर्फ गरीब लोग नहीं रहते बल्कि सम्पन्न लोगों की आबादी बढ़ गई है। वहां कई मस्जिदों और मदरसों का निर्माण कर लिया गया है। इसके अलावा वहां सरकार की तरफ से पानी की दो टंकी, 5 प्राथमिक विद्यालय, एक छोटा अस्पताल और सामुदायिक केंद्र बनाए गए हैं। वहां पर 15 निजी स्कूल और दूसरे व्यापारिक केंद्र भी हैं। सरकारी सुविधाओं को एक अवैध कब्जे पर उपलब्ध करवाना प्रशासन और शासन की शर्मनाक करतूत है। इससे साबित होता है कि वोट बैंक के लिए नेताओं ने इस कब्जे को बनाये रखने में मदद की है। आज कुछ राजनीतिक दल अतिक्रमणकारियों के पक्ष में खड़े हुए हैं, इससे साबित होता है कि इन्हीं लोगों की मेहरबानी से ये कब्जा बना हुआ था।

इस कब्जे की ओर किसी का ध्यान नहीं था. एक पुल के गिरने से इस कब्जे के खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई। बनभूलपुरा में गौला पुल गिरने की जब जांच हुई तो पता लगा कि रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वालो के खनन के कारण ही पुल गिरा था । इससे मामले की जांच में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मामला भी जुड़ गया। इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में बताया गया कि रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करके घर, मस्जिद और मदरसे बने हुए हैं और रेलवे ने बताया कि 31.87 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया गया है। इसके बाद माननीय अदालत ने दिसंबर, 2022 में अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया। कब्जाधारी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले गए जहां जनवरी, 2023 में इस आदेश पर रोक लगा दी गई। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है और इस अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। ज्यादातर कब्जाधारी मुस्लिम समाज से आते हैं और अभी रोजे चल रहे हैं, इसलिए अदालत ने ईद के बाद इस कब्जे को हटाने के निर्देश दिए हैं।

कब्जाधारियों के वकीलों ने बहुत जोर लगाया कि उन्हें न हटाया जाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखा जाए तो माननीय सुप्रीम अदालत ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को सख्त संदेश दिया है। कब्जाधारियों के वकील का कहना था कि वो लोग पिछले 50 सालों से वहां रह रहे हैं, रेलवे को अपने विकास कार्य दूसरी जगह कर लेने चाहिए और उन्हें वहीं रहने देना चाहिए। जवाब में न्यायाधीशों ने कहा कि ये कब्जाधारी तय नहीं कर सकते कि रेलवे अपने विकास कार्य कहाँ और कैसे करे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि भूमि सरकार की है और सरकार को ही तय करना है कि उसे जमीन का कैसे इस्तेमाल करना है। रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वालो को वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन अवैध कब्जाधारियों को जमीन खाली करनी ही पड़ेगी।

कब्जाधारियों के वकील का कहना था कि इनको हटाने से पहले इनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाए। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि पुनर्वास इनकी मदद ज्यादा है, अधिकार कम है। कब्जाधारियों के प्रति मानवीय रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को प्रभावितों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता को देखते हुए पुनर्वास का इंतजाम किया जाए। ये कब्जाधारियों के लिए नई समस्या बनने वाली है क्योंकि पीएम आवास योजना की पात्रता के लिए सभी योग्य साबित नहीं होंगे। ये योजना गरीब लोगों के लिए बनाई गई है जबकि वहां बड़ा वर्ग सम्पन्न लोगों का है। इसके अलावा भी इस योजना का लाभ लेने के लिए उचित दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे । इन कब्जाधारियों में बड़ी संख्या अवैध घुसपैठियों की है जो योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कब्जाधारियों के वकील प्रशांत भूषण का कहना था कि रेलवे के पास और भी जमीन है, वो वहां जाकर विकास कार्य कर सकता है। अदालत ने कहा कि ये हम नहीं तय कर सकते कि रेलवे अपने विकास कार्य कहां करे। देखा जाए तो अदालत ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को बता दिया है कि सरकारी भूमि का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सरकार का अधिकार है। कब्जाधारियों को इतने दिन रहने दिया गया, ये भी बड़ी बात है। वो लोग तय करें कि उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ लेना है या नहीं।

देखा जाए तो अदालत ने कब्जाधारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जे को भी गलत भी ठहरा दिया है। इसका दूसरा पहलू भी है कि इस मामले में सिर्फ कब्जाधारी ही दोषी नहीं हैं। वो लोग वहां दशकों से कब्जा करके बैठे हुए थे लेकिन उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की गई, इसलिए अदालत को लगता है कि योग्य व्यक्तियो के लिए पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मामले ने बता दिया है कि अवैध कब्जे देश की बड़ी समस्या है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उन्होंने लगभग 68000 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया है। इससे साबित होता है कि पूरे देश में कितनी जमीन होगी, जिस पर अभी भी अवैध कब्जा बना हुआ है।

इस मामले में उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ी कार्यवाही की है। योगी आदित्यनाथ को तो लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं क्योंकि अवैध कब्जे के खिलाफ उनका बुलडोजर दौड़ता रहता है। उनकी देखादेखी अन्य राज्यों में भी अवैध कब्जों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों में यह अभियान तेजी से चल रहा है। गुजरात में सरकार ने बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया है। सवाल यह है कि ये काम पहले क्यों नहीं किया गया और दशकों तक कब्जे क्यों बने रहे। इससे यह भी साबित होता है कि मोदी सरकार के आने से पहले अवैध कब्जों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती थी।

कई राज्यों में भाजपा की सरकारें मोदी सरकार के आने से पहले से काम कर रही हैं, लेकिन उनका भी अभियान 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। स्पष्ट है कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्यवाही में मोदी सरकार की भी अहम भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अवैध कब्जाधारियों के मन में भय पैदा किया है कि उनका कब्जा कितना भी पुराना हो, वो अवैध ही रहेगा।

एडिशनल कमिश्नर नगर-निगम ने की अमृतसर बल्क वाटर स्पलाई स्कीम प्रोजेक्ट की समीक्षा

अमृतसर 26 फरवरी (साहिल बेरी)

निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिहं शेरगिल के दिशानिर्देश अनुसार नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर जयइंदिर सिहं द्वारा अमृतसर बल्क वाटर स्पालई स्कीम (ए.बी.डब्लयू.एस.एस) प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की गई। ज्ञात हो की नगर निगम द्वारा विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सहयोग से पिमसिप प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसी प्रजोक्ट के अधीन ए.बी.डब्लयू.एस.एस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। एडिशनल कमिश्नर जयइंदिर सिहं को इस प्रोजेक्ट का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी अध्यक्षता में यह पहली समीक्षा बैठक थी। इस मौके पर प्रोजेक्ट से संबंधित अधिकारियों द्वारा एडिशनल कमिश्नर को गुलदस्ता भेंट किया गया। इस मौके पर लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के अधिकारीयों ने बताया कि कंपनी द्वारा श्रमिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई है और होली के बाद श्रमिकों की संख्या बढ़कर 1100 हो जाएगी। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ने कहा की प्रोजेक्ट पहले ही देरी हो चुकी है, अब कंपनी किसी भी तरह इस साल सितंबर महीनें की निधारित समयसीमा में काम को पूरा करें। उन्होंने निगम अधिकारीयों को कंपनी के काम की सख्त निगरानी करने की हिदायत ताकि काम को समय पर पूरा किया जा सके। इस मौके पर एस.इ प्रोजेक्ट डा. जितिन वासुदेवा, प्रोजेक्ट मैनेजर कुलदीप सिहं सैनी (रिटायर्ड चीफ़ इंजीनियर), एक्सईन सुनील महाजन, नरेंद्रपाल सिहं, जितेद्रं वांसिल, शिव कुमार सोनी, मनी शर्मा, अशवनी कुमार , लार्सन एंड टूब्रो से संजय कुमार, अनिल कुमार विंद, आदि भी उपस्थित थे।

क्वेस्ट एलायंस की शीतल गोस्वामी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान पानीपत (महिला) में दो दिवसीय स्वयंरोजगार कार्यक्रम संपन्न

हरियाणा/ हिसार (राजेश सलूजा) : राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (महिला) पानीपत में 24 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक क्वेस्ट एलायंस की ओर से दो दिवसीय स्वयंरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत स्टॉल गतिविधि का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन की विशेष बात यह रही कि यह पूरी तरह प्रशिक्षुओं द्वारा संचालित पहल थी तथा इसके लिए क्वेस्ट एलायंस की ओर से किसी प्रकार का बजट व्यय नहीं किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार, उद्यमिता तथा व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव प्रदान करना था। संस्थान के सभी ट्रेड की प्रशिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दोनों दिनों में प्रत्येक स्टॉल पर अलग-अलग व्यावसायिक विचार प्रस्तुत किए गए, जिससे रचनात्मकता और नवाचार की झलक देखने को मिली।

_टॉलों पर लिट्टी चोखा, भेलपुरी, दही भल्ले, छोला चाट, ब्रेड पिज़्ज़ा, चाय, नाखून सज्जा सेवा, मेहंदी कला, हस्तनिर्मित रूमाल, पर्स, की-रिंग्स सहित विभिन्न उत्पाद एवं सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। सभी प्रशिक्षुओं ने स्वयं निवेश कर अपने स्टॉल लगाए और सराहनीय रूप से अपनी लागत से अधिक लाभ अर्जित किया।

इस गतिविधि के माध्यम से प्रशिक्षुओं को वास्तविक बाजार का अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने निवेश योजना, मूल्य निर्धारण रणनीति, ग्राहक व्यवहार, संवाद कौशल, लाभ की गणना तथा स्थायित्व जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यवहारिक रूप से समझा। इस अनुभव ने उनके आत्मविश्वास को सशक्त किया और उन्हें सफल उद्यमी बनने की दिशा में प्रेरित किया।

कार्यक्रम के अंतर्गत क्वेस्ट एलायंस की ओर से शीतल गोस्वामी मैडम ने स्वयंरोजगार विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण के दौरान दिए गए सुझावों के आधार पर ही प्रशिक्षुओं ने अपने स्टॉल की रूपरेखा तैयार की और उन्हें सफलतापूर्वक संचालित किया।

यह दो दिवसीय आयोजन "करते हुए सीखना" की अवधारणा का उत्कृष्ट उदाहरण सिद्ध हुआ। यह पहल न केवल आर्थिक समझ विकसित करने में सहायक रही, बल्कि नवाचार, टीमवर्क और समस्या समाधान की क्षमता को भी सुदृढ़ बनाने का प्रभावी माध्यम बनी।

शिल्प समागम केवल मेला नहीं, आत्मनिर्भरता और सम्मान का सेतु है" : डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 'शिल्प समागम–2026' का किया उद्घाटन

संगिनी घोष

पारंपरिक कला और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 'शिल्प समागम–2026' का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी या मेला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और कारीगरों के सम्मान का सशक्त सेतु है। कार्यक्रम में देशभर से आए शिल्पकारों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों ने अपनी पारंपरिक एवं आधुनिक कलाकृतियों का प्रदर्शन किया।

ऐसे देखें तो, यह आयोजन स्थानीय हुनर को राष्ट्रीय पहचान देने और कारीगरों को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है।

कारीगरों को बाज़ार से जोड़ने की पहल

मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन कारीगरों को सीधे उपभोक्ताओं और बाजार से जोड़ते हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य और पहचान मिलती है। उन्होंने कौशल विकास, डिज़ाइन नवाचार और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर भी जोर दिया।

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जुड़ा आयोजन

'शिल्प समागम–2026' को आत्मनिर्भर भारत अभियान की भावना से जोड़ा गया, जहां स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। आयोजन में हस्तशिल्प, हथकरघा, प्राकृतिक उत्पाद और जनजातीय कला मुख्य आकर्षण रहे।

सम्मान और समावेशन का संदेश

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि शिल्पकार देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक हैं और उन्हें सम्मान व अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने और समावेशी विकास पर बल दिया।

ऐसे देखें तो, यह मेला आर्थिक गतिविधि के साथ-साथ सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक सम्मान को भी नई दिशा देता है।

मुख्य बिंदु

* 'शिल्प समागम–2026' का उद्घाटन डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा।
* आयोजन को आत्मनिर्भरता और सम्मान का सेतु बताया गया।
* देशभर के शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी।
* कारीगरों को बाजार और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर।
* हस्तशिल्प, हथकरघा और जनजातीय कला प्रमुख आकर्षण।
* समावेशी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण पर फोकस।

आगे की दिशा

विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऐसे आयोजनों को निरंतर प्रोत्साहन मिला, तो कारीगर समुदाय को स्थायी बाजार और बेहतर आय के अवसर मिल सकते हैं। डिजिटल पहुंच और डिजाइन नवाचार के साथ भारतीय शिल्प वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान मजबूत कर सकता है।

डिजिटल मेटा विवरण (SEO):

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 'शिल्प समागम–2026' का उद्घाटन कर इसे आत्मनिर्भरता, सम्मान और कारीगर सशक्तिकरण का सशक्त मंच बताया।

जयदेव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमानंद बिस्वाल की पुण्यतिथि मनाई गई

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : आज, हेमानंद बिस्वाल मेमोरियल कमेटी ने जयदेव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमानंद बिस्वाल की चौथी पुण्यतिथि मनाई।

मेहमानों की मौजूदगी में, स्वर्गीय हेमानंद बिस्वाल की तस्वीर पर माला चढ़ाकर और श्रद्धांजलि देने के बाद दीया जलाया गया।

इसके बाद एक मधुर स्वागत गीत गाया गया। दिवंगत मुख्यमंत्री श्री बिस्वाल की बेटी और कांग्रेस नेता श्रीमती अमिता बिस्वाल ने मेहमानों का परिचय और स्वागत भाषण दिया और उत्तरीय से मेहमानों का मनोरंजन किया। इस मौके पर PCC प्रेसिडेंट भक्त चरण दास, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर रामचंद्र कदम, पूर्व यूनियन मिनिस्टर श्रीकांत जेना, पूर्व PCC प्रेसिडेंट निरंजन पटनायक, जयदेव जेना, शरत पटनायक, पूर्व मिनिस्टर पंचानन कानूनगो, पूर्व MP अनंत प्रसाद सेठी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी सुरेश महापात्रा, सीनियर जर्नलिस्ट रवि दास, स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री बिस्वाल की पत्नी उर्मिला बिस्वाल मौजूद थीं और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमानंद बिस्वाल की अचीवमेंट्स पर चर्चा की। मीटिंग के प्रेसिडेंट, पूर्व PCC प्रेसिडेंट जयदेव जेना ने मीटिंग कंडक्ट की। दिवंगत मुख्यमंत्री श्री बिस्वाल की बेटी और कांग्रेस लीडर सुनीता बिस्वाल ने आखिरी स्पीच दी।

दूसरे बड़े नेताओं में शामिल थे

शिवानंद रे, किशोर जेना, नवज्योति पटनायक, पृथी बल्लव पटनायक, जानकी बल्लव पटनायक, विश्वजीत दाश, प्रकाश जेना, मानस आचार्य, आलोक मोहंती, बंकनिधि बेहरा, तरुण मिश्रा, हलधर सेठी, मंगू खिल, पवित्र सौंटा, सेम हेम्ब्रम, अजय महापात्रा, सिद्धार्थ दास, अशोक दास, प्रशांत चंपति, प्रदीप महापात्रा, मिहिर आचार्य, राजीव पटनायक, प्रताप जेना, कृष्ण चंद्र पति, राजेश मिश्रा, देव प्रसाद नायक, नलिनी मोहंती, हिमांशु लेंका, सचि नायक, मिलन पटनायक, मनोज विशाल, तूफान सदांगी, जयकृष्ण सुबुद्धि, प्रभात प्रताप सिंह, सुदीप्ता कर, उदित प्रधान, प्रभात किशोर दास, नलिनी कांत नायक, अमरेश परिदा, प्रशांत राउत, पिनाक दास, देवव्रत मोहंती, निर्मल नायक, पद्मजा दाश, मानस कर, सागर पटनायक, मंटू मल्लिक, शाहरुख खान, तपस सेठी, मोहम्मद गुलफाम, अनिल दास, सौम्या रंजन लेंका, मनोरंजन कुंडू, प्रदीप्ता दास, मीर अहमद अली, एम.डी. सहदुल्ला, मानस सेठी, विनोद राउत, मोहन हेम्ब्रम, कैलाश साहू, देबाशीष दास और कई दूसरे जाने-माने लोग मौजूद थे।

राष्ट्रपति ने इतिहास को जीवन दान दे दिया जगन्नाथ मंदिर का आधारशिला रख कर जमशेदपुर मे

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची ,कभी इतिहास के पन्नों में उत्तर कलिंग रहा मौजूदा समुचा झारखंड प्रदेश, तब जब गंगा से गोदावरी हुआ करता था उत्कल। यहां तक की स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन 1936 के पूर्व तक तीनों सिंहभूम जिला उसी उत्कल का ही अंग रहा। जिस राज्य के वे राष्ट्र देवता माने जाते जगन्नाथ महाप्रभू शदियों से ।फिर उन तमाम बिछड़े ओड़िया इलाके का एकत्रीकरण हेतु तत्कालीन बिहार ओडिशा विधान परिषद के कालजयी मंत्री उत्कल गौरव मधुसुदन दास ने अंग्रेजों की अदालत में पुरी जगन्नाथ मंदिर रक्षा के लिए जैसे वकालत की थी भला उसे कौन नहीं जानता ।आज बिछड़े उत्कल के उसी माटी जमशेदपुर में उसी उत्कल माता की एक पुत्री महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मूर्मू के हाथों एक नये भव्य जगन्नाथ मंदिर का आधारशिला रखा जाना निसंदेह इतिहास को पुनः जीवनदान देने जैसा रहा । जब स्वयं राष्ट्रपति ने 100 करोड़ लागत से यहां भगवान जगन्नाथ की ठीक वैसी अन्य एक मंदिर की नींव रखा जो नीलांचल पुरी में अवस्थित विश्व प्रसिद्ध है ।

सिंहभूम के कई भागों में उपेक्षित जगन्नाथ महाप्रभू एवं एवं उनकी संस्कृति संरक्षण में एक नया अध्याय जोड़ते हुए महामहिम राष्ट्रपति आगमन के साथ जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर प्रदेश के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उनका भव्य स्वागत किया.साथ ही मुख्यमंत्री ने भी उनका स्वागत किया ।इसके बाद एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम स्थल कदमा पहुंचीं. कदमा के मरिन ड्राइव के पास निर्माण होने वाली श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेरिटेबल ट्रस्ट भूमि का . बता दें दि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पूजन सह चतुर्धामूर्ति के मंदिर हेतु भूमि पूजन आयोजन हुआ .

राष्ट्रपति ने श्री जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास किया जहां मंदिर प्रबंधन समिति के साथ साथ अन्य कई गणमान्य लोग इसमें शामिल हुए.जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान , झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी नजर आये .इनके साथ विधायक , सांसद गण भी यहां उपस्थित रहे कार्यक्रम के अलावा बारिडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुई जहां राष्ट्रपति अपनी परिचित अंदाज में लोगों से मिलते हुए बच्चों मे टॉफियां बांटी .

श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर ट्रस्ट के अध्यक्ष एसके बेहरा ने बताया कि लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह मंदिर ढाई एकड़ भूमि पर बनने जा रहा है .

नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह वचनबद्ध – पुलिस कमिश्नर

पुलिस कमिश्नर ने नशा मुक्ति मोर्चा के वॉलंटियर्स को नशा मुक्ति अभियान में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया

अमृतसर, 26 फरवरी (साहिल बेरी) –

पुलिस कमिश्नर अमृतसर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर द्वारा आज अपने कार्यालय में पुलिस अधिकारियों तथा नशा मुक्ति मोर्चा के वॉलंटियर्स के साथ एक विशेष बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुलिस कमिश्नर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पुलिस विभाग नशे को जड़ से खत्म करने के लिए वचनबद्ध है तथा "युद्ध नशों के विरुद्ध" अभियान के अंतर्गत नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों द्वारा नशे की बिक्री से बनाई गई गैर-कानूनी संपत्तियों को पुलिस विभाग द्वारा सील भी किया गया है और बड़ी संख्या में नशा तस्करों को गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया गया है।

पुलिस कमिश्नर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पुलिस विभाग जहां एक ओर नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर नशे की दलदल में फंसे युवाओं को बाहर निकालने के लिए भी प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नशे से पीड़ित युवाओं को प्रेरित कर सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कराया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बैठक के दौरान उन्होंने नशा मुक्ति मोर्चा के वॉलंटियर्स से अपील की कि वे नशा मुक्ति अभियान में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोगों को नशों के विरुद्ध जागरूक करें।

बैठक के दौरान नशा मुक्ति मोर्चा के जिला प्रधान श्री दीक्षित धवन ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा "युद्ध नशों के विरुद्ध" के दूसरे चरण के तहत हर गांव और शहर में पैदल यात्राएं निकालकर नशे रूपी कोढ़ के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा "गांव का पहरेदार" नाम से एक अभियान लॉन्च किया गया है, जिसके तहत फोन नंबर 98991-00002 पर मिस्ड कॉल देकर लोग गांव के पहरेदार के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

श्री धवन ने कहा कि सरकार द्वारा लॉन्च की गई ऐप के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र में नशा तस्करों की जानकारी भी साझा कर सकते हैं और इस जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति मोर्चा के सदस्यों द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वे "युद्ध नशों के विरुद्ध" अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें, ताकि पंजाब की युवा पीढ़ी को बचाया जा सके।

27 फरवरी जन्मजयंती पर विशेष, भगवान दास माहौर : क्रांतिपथ का अविचल राही

परिवहन विशेष न्यूज

पूरे परिवेश में ऊर्जा एवं उत्साह की लहर थी। देशभक्ति-भाव से वातावरण ओजमय था।

देश की स्वतंत्रता में क्रांतिकारियों के योगदान की चर्चा हर जुबान थी। स्वतंत्रता के वेदिका में सांसों की समिधा समर्पित कर अमर हो गये क्रांतिपथिकों के प्रति उपस्थित जन समूह में श्रद्धा का सरोवर लबालब भरा हुआ था। अवसर था लखनऊ में, महान बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के अनावरण का। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आजाद के घनिष्ठ मित्र ने 'चंद्रशेखर आजाद - अमर रहें' के जनघोष के बीच मूर्ति पर ढंका कपड़ा हटाया, अश्रुपूरित नेत्रों से पुष्प माला पहनाई और प्रणाम हेतु चरणों में झुक गये। पूरा माहौल बलिदानी ओजस्वी नारों से गूंजता रहा। आजाद की मूर्ति के चरणों में झुका मुख्य अतिथि की शीश झुका ही रहा। एक सह-अतिथि ने हाथ का सहारा दे उठाना चाहा, पर यह क्या ! उनके हाथों में निष्प्राण देह झूल गयी। अपने आदर्श, क्रांतिकारी साथी मां भारती के सपूत चंद्रशेखर आजाद के चरणों में मुख्य अतिथि ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मुख्य अतिथि थे डॉ. भगवान दास माहौर और दिन था 12 मार्च, 1979 सोमवार।

चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह के प्रिय साथी भगवान दास माहौर का जन्म 27 फरवरी, 1910 को झांसी जनपद के बड़ौनी गांव में हुआ था जो अब मध्यप्रदेश के दतिया जिला अंतर्गत आता है। माता नन्नीबाई लाड़-प्यार लुटातीं पशु-पक्षियों एवं प्रकृति से जुड़ी कहानियां सुनातीं, फलतः बालक भगवान दास प्रकृति के सान्निध्य में शांति एवं सुख अनुभव करते प्रकृति से भावनात्मक रूप से जुड़ता गया। पिता रामचरन माहौर का मिठाई बनाने का व्यवसाय था, किंतु वह जीवन में शिक्षा के महत्व से परिचित थे। इसी कारण पढ़ाई की उम्र होते ही बालक को गांव के विद्यालय में भेजा जाने लगा और समय के साथ उसने पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली। आगे की शिक्षा हेतु गांव में विद्यालय उपलब्ध न था तो भगवान दास को कक्षा 6 में प्रवेश हेतु झांसी में रिश्तेदार नाथूराम माहौर के पास भेज दिया गया और वह मन लगाकर पढ़ने लगे। प्रकृति और साहित्य से लगाव बढ़ने लगा था, पर नियति ने तो कुछ और ही रच लगा था। कक्षा 9 में अध्ययन के दौरान भगवान दास का सम्पर्क क्रांतिकारी युवा शचींद्रनाथ बख्शी से हुआ। शचींद्रनाथ ने भगवान दास को चंद्रशेखर आजाद से मिलवाया। उम्र रही होगी 15-16 वर्ष, आजाद ने परीक्षा ली। शचींद्रनाथ ने पिस्तौल में गोली भरकर नली भगवान दास की ओर करके ट्रिगर दबाते हुए कहा कि गोली ऐसे चलाते हैं। इसी बीच आजाद ने शचींद्रनाथ का हाथ ऊपर उठा दिया, गोली छत से जा टकराई और छत का थोड़ा चूरा फर्श पर फैल गया। आजाद ने भगवान दास की नब्ज टटोली, दिल की धड़कन सुनी, सब सामान्य जैसे कुछ हुआ ही न हो। साहस के धनी भगवान दास न केवल क्रांतिकारी दल में शामिल कर लिए गये, बल्कि आजाद के घनिष्ठ और प्रिय साथी भी बन गये। चंद्रशेखर आजाद का आगमन जब भी झांसी होता तो भगवान दास के साथ ही रहते। झांसी के ही दो क्रांतिकारी साथी सदाशिव मलकापुरकर एवं विश्वनाथ वैशम्पायन, जो बांदा में बहुत समय रहे और पढ़ाई की, भी मिलते। बारहवीं उत्तीर्ण कर आजाद के निर्देश पर भगवान दास ने 1928 में विक्टोरिया कालेज ग्वालियर में प्रवेश ले छात्रावास में रहने लगे। यहां क्रांतिकारी साथियों का बहुत आना-जाना लगा रहता था, किसी को शक न हो जाये, यह सोच कर भगवान दास ने छात्रावास छोड़कर बाहर शहर में एक मकान किराये पर लिया। यहां पर क्रांतिकारियों का छिपना-रहना आसान हो गया।

काल चक्र का पहिया चलता रहा। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठियों की मार से लाला लाजपत राय का बलिदान हो चुका था। बदला लेने और देश में उत्साह जगाने के लिए लाठी चार्ज का आदेश देने वाले अंग्रेज अधिकारी जेम्स अलेक्जेंडर स्कॉट का वध आवश्यक था। चंद्रशेखर आजाद ने भगवान दास को लाहौर बुला लिया। योजना बनी, भूलवश स्कॉट की जगह जॉन पायंट्ज साण्डर्स की हत्या हो गयी। पर विषय यह नहीं है कि किसकी हत्या हुई, विषय यह है कि भगवान दास की जिम्मेदारी थी कि यदि भगतसिंह और शिवराम राजगुरु से कोई चूक होती है तो विकल्प के तौर पर भगवान दास माहौर अंग्रेज अधिकारी को तुरंत गोली मार देंगे, साथ ही भगत सिंह और राजगुरु को कवर फायर भी देंगे। इस घटना के बाद कुछ क्रांतिकारी ग्वालियर आ गये। भगवान दास ने सभी को विभिन्न स्थानों पर छिपा दिया। क्रांति कभी भी लुक-छिपकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से नहीं होती। अतः आजाद के निर्देश पर भगवान दास माहौर और शिवदास मलकापुर 1930 में बम-बारूद और हथियारों की पेटी लेकर शिवराम राजगुरु के पास अकोला के लिए निकले। किंतु जयगोपाल एवं फणींद्रनाथ घोष की मुखबिरी से भुसावल में पकड़ लिए गये। जलगांव में मुकदमा चला और भगवान दास माहौर को 14 साल की जेल सजा हुई। इस मुकदमें के दौरान पहचान के लिए दोनों मुखबिर जलगाव कोर्ट में गवाही देने आने वाले थे। चंद्रशेखर आजाद ने सदाशिव मलकापुर के भाई शंकर राव के हाथ 20 फरवरी को भोजन पात्र में एक भरी पिस्तौल भगवान दास को भेज कर दोनों मुखबिरों की हत्या का निर्देश दिया। 21 फरवरी को पेशी थी, न्यायालय के बाहर भोजन करते मुखबिरों पर भगवान दास ने गोली चलाई किंतु सुरक्षाकर्मी आगे आ गया, दोनों मुखबिर मेज के नीचे छिप गये, पर अगली दो गोलियों ने दोनों को घायल कर दिया था। भगवान दास को जेल में बंद कर कठोर यातना दी गई। वर्ष 1938 में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल बना तब आठ साल की जेल के बाद भगवान दास को रिहा किया गया, किंतु आंदोलनों में सक्रियता के कारण वह 1940 में फिर जेल में बंद कर दिये गये।

वर्ष 1945 में जेल से छूटने के बाद भगवान दास ने बीए, एमए करके आगरा विश्वविद्यालय से '1857 के स्वाधीनता संग्राम का हिंदी साहित्य पर प्रभाव' विषय पर शोध कर पीएचडी उपाधि प्राप्त की और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी में अध्यापन कार्य किया। वह कलम के धनी थे, साहित्य के आंगन में विचरण करते थे। क्रांतिकारियों के जीवन पर 'यश की धरोहर' तथा कहानी संग्रह 'यक्ष प्रश्न' लिख साहित्य भंडार को समृद्ध किया। एक रेडियो रूपक भी लिखा - ऐसे तो घर नहीं बनता मम्मी, जो बहुत चर्चित और लोकप्रिय हुआ। संगठन गढ़ने में कुशल, अचूक निशानेबाज एवं क्रांतिकारियों में 'कुठे गुंतला' नाम से सम्बोधित क्रांतिवीर डॉ. भगवान दास माहौर ने 12 मार्च, 1979 को अपनी अंतिम सांस अपने आदर्श के चरणों में समर्पित कर दी। उनकी एक काव्य पंक्ति- मेरे शोणित की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी, से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जन्मभूमि बड़ौनी गांव में भगवान दास माहौर की प्रतिमा देशभक्ति का संचार करती रहेगी

चंपाई सोरेन के पोते वीर को विदा कर मातम पसरा जिलिंगगोडा से झारखंड की राजनीति तक

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

सरायकेला, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के लाडले पोते वीर सोरेन को जिलिंगगोड़ा वासियों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी जहां झारखंड की राजनीति भी शोकाकुल नजर आया । जहां उनके शोक संतप्त परिवार के साथ स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान , पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा , अर्जुन मुंडा , सांसद गीता कोड़ा, जोवा माझी आदि पहुंचे।

किशोर जवानी में प्रवेश कर रहे वीर दोस्तों संग हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने गये थे। वहां तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार देर रात निधन हो गया। पार्थिव शरीर गांव पहुंचते बेसुध हुआ परिवार। परिजनों का जहां रो रोकर बुरा हाल था, वहीं वीर के माता-पिता एवं दादा चंपाई सोरेन बेसुध हो गए गंभीर शोक में डूबे माता-पिता एवं चंपाई सोरेन की स्थिति पर चिकित्सकों की टीम नजर रखी हुई थी। इस बीच सांसद जोबा मांझी, उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, एसपी मुकेश लुणायत ने पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ खड़े रहे । आदिवासी रस्म के साथ करीब चार बजे गांव में ही उनकी पैतृक जमीन में अंतिम संस्कार का किया गया। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू, कर्मवीर सिंह भी शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सीधे श्मशान स्थल पहुंच पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को ढांढस बंधाते हुए शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की। करीब आधे घंटे तक धर्मेंद्र प्रधान पूर्व मुख्यमंत्री के साथ रहे। इनके अलावा सांसद जोबा मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, विधायक सोमेश सोरेन, झामुमो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य गणेश चौधरी, गणेश महाली, जिलाध्यक्ष शुभेंदु महतो, सांसद प्रतिनिधि केपी सोरेन, गोपाल महतो, मोहन कर्मकार, आनंद बिहारी दुबे, पुरेंद्र नारायण सिंह, सोना राम बोदरा, छायाकांत गोराई, रंजीत प्रधान, बीटी दास, सन्नी सिंह, पिंकी मंडल, पूर्ण चंद्र मंडल, देव प्रकाश देवता, अविनाश सोरेन समेत काफी संख्या में विभिन्न दलों के लोग शामिल थे।

मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पौत्र वीर सोरेन के निधन की खबर सुन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को को उनके गांव जिलिंगगोड़ा पहुंचे। बतौर मुख्यमंत्री वीर सोरेन का असमय निधन न केवल परिवार, बल्कि पूरे राज्य के लिए क्षति है। घर का चिराग बुझ जाने के गम को भुला पाना सबसे कठिन है। किसी को अपने बेटा, पोता या नाती को कंधा देने के कठिन समय से गुजरना पड़े तो यह काफी मर्माहत करने वाला होता है। इस दुःखद क्षण की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस घटना से घर परिवार तो मर्माहत है ही, साथ ही परिवार से जुड़े लोग भी कम दुखी नहीं हैं। सीएम 40 मिनट तक जिलिंगगोडा मे रूके ।